नागरिकता संशोधन अधिनियम पर 'श्वेत पत्र'

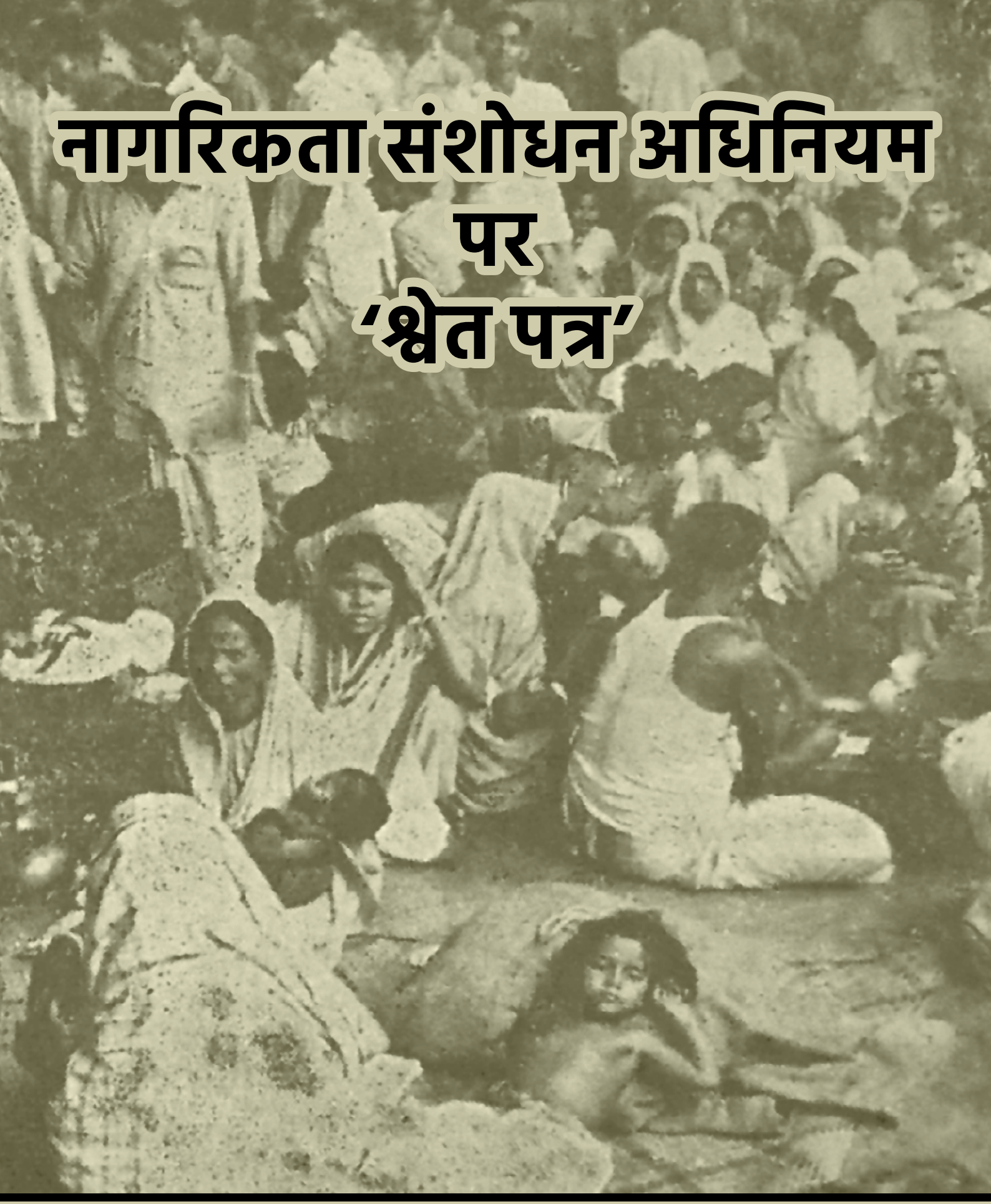

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी
रिसर्च फाउंडेशन

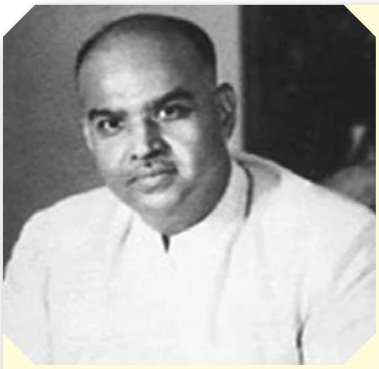

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी बंगाल के हिंदू, न केवल मानवीय आधार पर, बल्कि आगामी पीढ़ियों के भविष्य के लिए उनके द्वारा खुशी-खुशी सहे गये कष्टों और बलिदानों के आधार पर तथा अपने हितों को दरकिनार कर भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता और बौद्धिक प्रगति की नींव रखने के लिए वह भारत के संरक्षण के हकदार हैं.

इस्लामिक राज्य पाकिस्तान का एक पाखंड है, जो हिन्दुओं और सिखों का योजनाबद्ध रूप से निर्वसन करने के बाद उनकी संपत्तियों से एक व्यवस्थित नीति का निर्माण करता है. इस नीति के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों (हिन्दुओं और सिखों) का जीवन बुरा और क्रूर हो गया है. हमें इतिहास की कमियों को नहीं भूलना चाहिए. हम इसे अपनी मर्ज़ी से करेंगे. मैं बीते जमाने की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन अगर कोई भी पाकिस्तान में घटी घटनाओं का विश्लेषण करेगा तो यह साबित होगा कि उस देश में हिन्दुओं के लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं है. समस्या सांप्रदायिक नहीं बल्कि अनिवार्य रूप से राजनीतिक है.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी , संसद में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के दौरान, 19 अप्रैल, 1950

संपादन

आयुष आनंद
रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

आदर्श तिवारी
रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

अभय सिंह
रिसर्च एसोसिएट
डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

शुभम तिवारी | विशाल कुमार

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-23005850

विषय सूची

1.	प्राक्कथन	**4**
2.	नागरिकता संशोधन कानून पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट	**6**
3.	लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के भाषण के प्रमुख बिंदु	**6**
4.	विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	**8**
5.	नेहरू-लियाकत संधि	**9**
6.	पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री की कहानी	**10**
7.	पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसांख्यिकी	**13**
8.	संशोधन विधेयक के प्रावधान	**15**
9.	असम की स्थिति और घुसपैठ के बढ़ते खतरे	**15**
10.	बंगाल और बंगाली हिंदुओं की स्थिति	**17**
11.	इस मुद्दे पर भारतीय राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक स्थिति	**19**
12.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आश्वासन और संशोधन के पक्ष में माँग	**24**
13.	निष्कर्ष	**33**
14.	नागरिकता संशोधन विधेयक पर पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न	**34**
15.	संदर्भ सूची	**39**

प्राक्कथन

"हमें आज इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है? स्वतंत्रता के बाद, यदि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया होता, तो आज हमें इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती. कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन किया"- 9 दिसम्बर, 2019 को लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पर गृह मंत्री श्री अमित शाह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक निर्णायक और लक्ष्य-केंद्रित सरकार के आगमन तक, भारतीय राजनीति अक्सर वोट बैंक की घातक बीमारी से पीड़ित रही थी. राष्ट्रीय हित के मुद्दे, सांस्कृतिक पहचान, सभ्यतागत कारणों, मानवीय और शासन संबंधी विषय वोट बैंक के दृष्टिकोण से तय किये जाते थे. इस प्रकार यह आश्चर्यजनक नहीं था, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि 1947 में विभाजित भारत के सीमांकन के लिए खींची गयी रेडक्लिफ लाइन, जिसने बड़ी संख्या में लोगों को दर्द दिया था, उसके पीड़ितों के साथ हुए अन्याय को जब ठीक करने का समय आया तो कुछ राजनीतिक दलों-विशेषकर जिन्होंने भारत में सबसे लंबे समय तक शासन किया, उन्होंने अपने हितों को संसद के अंदर वोट-बैंक के आधार पर प्राथमिकता दी. उन्हें बिल का विरोध करते हुए देखना इसलिए बड़ी विडंबना है, क्योंकि अतीत में इन दलों के कई नेताओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के पक्ष में तर्क दिया था, जैसा कि इस दस्तावेज़ में देखा जा सकता है. अपने अतीत के रुख को बदलते हुए इन दलों और उनके नेताओं ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के पारित होने का पूरी तरह विरोध किया है. वोट-बैंक की राजनीति में सर्वाधिक लिप्त पार्टी, जो पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में शासन करती है, ने बड़ी संख्या में संकटग्रस्त लोगों को नागरिकता प्रदान करने वाले विधेयक के पारित होने का जोर-शोर से विरोध किया है.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो देश के विभाजन के लिए ज़िम्मेदार है और असम में समस्याओं की जनक है, ने सदन में इस विधेयक का विरोध किया. जिससे यह संदेश गया कि उत्पीड़ित हिंदुओं और सिखों के लिए वास्तव में भारत में स्थान नहीं है. जो लोग भारत में रोहिंग्याओं को अनर्गल प्रवेश देने की वकालत करते हैं, उन्होंने बिल का विरोध केवल इसलिए किया क्योंकि इससे लाभान्वित होने वाले लोग हिंदू, सिख, जैन, ईसाई और पारसी हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए हमारे पड़ोसी देशों में इन अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का कोई अर्थ नहीं है. विशेष रूप से हिंदू और सिख जो उत्पीड़ित हैं वह भारतीय नागरिकता पाने के हकदार भी नहीं हैं. कांग्रेस को एक मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में पूरे 'जी-जान' से विधेयक का विरोध करते हुए देखना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था, यह ज्ञात है कि कांग्रेस ने एक पार्टी के रूप में पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश के हिंदुओं को हमेशा धोखा दिया है. वह उनकी रक्षा करने के अपने वादे को निभाने में विफल रही है.

लोकसभा में बहस में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कई बार रवींद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद का उल्लेख किया, टीएमसी के एक नेता ने "बंगाली हिंदू" होने का दावा किया. इसके बावजूद पार्टी ने लाखों असहाय बंगाली हिंदू शरणार्थियों को उत्पीड़न से बाहर निकालने वाले इस विधेयक का विरोध करने का फैसला किया. पश्चिम बंगाल के हिंदू शरणार्थियों को छोड़कर घुसपैठियों के वोट बैंक को खुश करने के लिए यह दोहरा मानक, राजनीतिक अवसरवाद और विश्वासघात का रास्ता अपनाया जा रहा है.

टीएमसी ने मतुआ समुदाय को भी धोखा दिया है जो इस विधेयक के पारित होने से लाभान्वित होंगे. टीएमसी के अलावा, वाम दलों ने भी इस समुदाय को नागरिकता दिये जाने के लिए कई बार आवाज उठाई थी, लेकिन उन्हें नागरिकता देने वाले इस विधेयक का विरोध सदन के पटल पर करके वामदलों ने अपना पाखंड जाहिर कर दिया. यह कृत्य केवल यह दिखाता है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियों और टीएमसी ने केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए शरणार्थियों का इस्तेमाल किया है और उन्हें इस देश में एक गरिमापूर्ण अस्तित्व और स्थायी नागरिकता देने के लिए कभी काम नहीं किया है.

यह भी उल्लेख करना उचित है कि इन शरणार्थियों में से अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं, फिर भी, भारत में हरिजनों का मसीहा होने का दावा करने वाली बसपा और सुश्री मायावती, अपने मुस्लिम वोटबैंक के नाराज होने के डर से विधेयक का समर्थन करने का साहस नहीं जुटा सकीं. अनुच्छेद 14 के उल्लंघन, संविधान के धर्मनिरपेक्षता के साथ समझौता और विधेयक के मुस्लिम विरोधी होने के दुष्प्रचार के खिलाफ सच स्पष्ट करने और विपक्ष के पाखंड और दोहरे मापदंड को उजागर करने की जरूरत है. केंद्रीय गृह

मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर बहस के दौरान संसद के दोनों सदनों के पटल पर एक बार नहीं, बल्कि कई बार स्पष्ट किया है कि इसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है, सभी मुसलमान जो भारतीय नागरिक हैं. उन्हें इस विधेयक के पारित होने के कारण चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, यह विधेयक किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, बल्कि नागरिकता प्रदान करने के लिए है.

दिलचस्प बात यह है कि अगर हम अतीत में जायें तो पं. ठाकुरदास भार्गव, सरदार भोपिंदर सिंह मान, प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना जैसे संविधान सभा के कई प्रमुख सदस्यों ने 11 और 12 अगस्त, 1949 को दुनियाभर में रह रहे हिंदुओं और सिखों को नागरिकता देने के संबंध में अपनी आवाज उठाई. क्योंकि भारत उनका एकमात्र देश है, उनकी मातृभूमि है. हालांकि इस विचार पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपना वीटो लगा दिया था.

आज पाकिस्तान अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में विफल रहा है, इसलिए वे भारतीय राज्य की जिम्मेदारी बन जाते हैं और उन्हें मरने या जबरन धर्म परिवर्तन झेलने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है. यह विभाजन का एक अधूरा एजेंडा था. स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी नीत एनडीए-1 सरकार ने भी हिंदू और सिख शरणार्थियों के नागरिकता के आवेदनों पर निर्णय करने के लिए राजस्थान और गुजरात में जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार प्रदान करके इसी तरह की कोशिश की थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 और 2019 में विधेयक पारित करने और नागरिकता के संबंध में किया गया ऐतिहासिक संकल्प और वादा अब पूरा हो चुका है.

इस विधेयक के मुसलमानों के साथ भेदभाव करने वाली आपत्ति पर यह समझना चाहिए कि यह विधेयक इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को एक उज्ज्वल भविष्य और संरक्षण प्रदान करता है. चूँकि इन तीन देशों – पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को इस्लामिक गणतंत्र घोषित किया गया है – और चूँकि मुसलमान वहाँ न तो उत्पीड़ित हैं और न ही अल्पसंख्यक हैं, इसलिए वे भारतीय नागरिकता के पात्र नहीं हैं.

विधेयक में अनुच्छेद 14 के अनुसार ही वरीयता आधारित व्यवहार, 'उचित वर्गीकरण' के लिहाज से भी खरा उतरता है और यह देश के कानून के अनुरूप है. विधेयक में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, यह अल्पसंख्यकों के हितों को सुनिश्चित करता है और विभाजन के दौरान उनसे किए गए वचन के अनुसार ही है. विपक्षी दलों के रुख का पर्दाफाश हो गया है, वे इन शरणार्थियों के प्रति अपने वचन से पीछे हट गए हैं, वे वोट-बैंक की राजनीति के चलते अंधे हो गये हैं.

नेहरू-लियाकत संधि के विरोध में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 अप्रैल, 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 'दिल्ली समझौता' विफल हो जायेगा. यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि छद्म-धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लाखों शरणार्थियों को बलिदान कर दिया गया. इस चर्चा के संदर्भ में डॉ. मुखर्जी के ये शब्द अभी भी वस्तविक हैं कि, "हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी बंगाल के हिंदू, न केवल मानवीय आधार पर, बल्कि आगामी पीढ़ियों के भविष्य के लिए उनके द्वारा खुशी-खुशी सहे गये कष्टों और बलिदानों के आधार पर तथा अपने हितों को दरकिनार कर भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता और बौद्धिक प्रगति की नींव रखने के लिए वह भारत के संरक्षण के हकदार हैं. यह उन मृत नेताओं और मां भारती के लिए मुस्कुराते हुए फांसी पर चढ़ जाने वाले युवाओं की एकजुट आवाज हैं, जो आज के स्वतंत्र भारत से न्याय और निष्पक्षता का आह्वान कर रही है..." प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री श्री अमित शाह के दिशा-निर्देशन में ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने से वह न्याय और निष्पक्षता की मांग अंतत: अब जाकर पूरी हुई है. इस विधेयक द्वारा एक ऐतिहासिक गलती को सुधारकर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को पूरा किया गया है.

यह लेख, नागरिकता संशोधन विधेयक के ऐतिहासिक संदर्भ, इसके विभिन्न आयाम, इसके संबंध में विभिन्न बहस और वर्तमान को देखने का प्रयास करता है और पूरी बहस का एक सामान्य अवलोकन करता है.

डॉ. अनिर्बान गांगुली
निदेशक
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

नागरिकता संशोधन कानून पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट

- कैब सुनहरे अक्षरों में लिखा गया कानून होगा और हम इसके सहज बहुमत के साथ पारित होने के संबंध में आश्वस्त हैं. इससे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को न केवल नागरिकता मिलेगी, बल्कि उनके पास स्थायी निवास भी होगा.
- प्रसन्न हूँ कि लोकसभा ने एक समृद्ध और व्यापक बहस के बाद नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया है. मैं विधेयक का समर्थन करने वाले विभिन्न सांसदों और दलों को धन्यवाद देता हूँ. यह विधेयक भारत के सदियों पुराने स्वभाव और मानवीय मूल्यों में विश्वास के अनुरूप है.
- मैं नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझाने हेतु गृह मंत्री अमित शाह जी की विशेष रूप से सराहना करना चाहूँगा. उन्होंने लोकसभा में चर्चा के दौरान संबंधित सांसदों द्वारा उठाये गये विभिन्न बिंदुओं के विस्तृत जवाब भी दिये.

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के भाषण के प्रमुख बिंदु

- यह पहला अवसर नहीं है जब किसी सरकार ने नागरिकता पर निर्णय लिया है. 1971 में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से आये सभी लोगों को नागरिकता देने का फैसला किया था. पाकिस्तान से आये लोगों को तब नागरिकता क्यों नहीं दी गयी थी? 1971 के बाद भी, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लगातार उत्पीड़ित किया गया है. नरसंहार बंद नहीं हुआ है. कांग्रेस ने युगांडा के शरणार्थियों को नागरिकता दी लेकिन इंग्लैंड के शरणार्थियों को नहीं. क्यों? इसके पीछे एक उचित वर्गीकरण था.
- अगर हमें इस विधेयक को समझना है तो हमें इन तीन देशों के संविधान को विस्तार से देखने की आवश्यकता है. अफगानिस्तान के संविधान में अनुच्छेद 2 कहता है कि देश का धर्म इस्लाम है. पाकिस्तान और बांग्लादेश के संविधान में भी इसी तरह के प्रावधान हैं.
- विभाजन के दौरान, शरणार्थियों का आदान-प्रदान किया गया था. नेहरू-लियाकत समझौता 1950 में हुआ था, जिसमें दोनों देशों ने अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखने का वादा किया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा नहीं किया. विधेयक का उद्देश्य उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है जो धार्मिक कारणों से उत्पीड़ित होकर भारत आये हैं. फैलाये जा रहे प्रचार के विपरीत, हम मुसलमानों से कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं.

- अगर कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन की अनुमति नहीं दी होती, तो इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती. यह हमारी नहीं, उनकी गलती है.
- यदि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति इसके लिए आवेदन करता है, तो उस पर खुले दिमाग से विचार किया जायेगा. चूँकि तीनों देशों में मुसलमान बहुमत में हैं, इसलिए मुसलमानों के धार्मिक उत्पीड़न का सवालआधार से परे है. मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह विधेयक 70 वर्षों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे लोगों को केवल न्याय दिलायेगा. यह किसी को निशाना नहीं बना रहा है और न ही कोई अन्याय करेगा.
- मेरा मानना है कि हर राजनीतिक दल को देश के लोगों की राय से बने अपने घोषणापत्र पर चुनाव लड़ना चाहिए, न कि किसी नेता या परिवार की राय पर. यहाँ यही हुआ है. यह विधेयक 2014 और 2019 के चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र में था. इस विधेयक के इस सदन द्वारा पारित होने के बाद, करोड़ों लोग संकट से मुक्त हो जायेंगे और सम्मान के साथ भारत के नागरिक बन जायेंगे.
- अपनी सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठ को रोकना प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है. हम देश को सभी के लिए खोल नहीं सकते. प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा के लिए अपना कानून बनाता है. अपनी सीमा की रक्षा करना, घुसपैठियों को रोकना और शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर करना किसी भी सरकार का कर्तव्य है. किस देश ने विदेशी नागरिकों को नागरिकता देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है?
- 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के गठन के बाद, शरणार्थियों को नागरिकता दी गयी और हमारी पार्टी सहित किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया. ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस समय पीड़ित हैं. मैं बंगाल और कांग्रेस के सांसदों को चुनौती देता हूं कि वे साबित करें कि विधेयक किसी भी तरह से पक्षपातपूर्ण है.
- इस विधेयक में, हम पूर्वोत्तर के लोगों की सामाजिक और भाषाई विशिष्टता की रक्षा कर रहे हैं. किसी को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है. नागालैंड और मिजोरम की सुरक्षा इनर लाइन परमिट द्वारा की जाती है और यह संरक्षित बनी रहेगी. मणिपुर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम उन्हें भी इनर लाइन परमिट में शामिल कर रहे हैं. मेघालय छठी अनुसूची द्वारा संरक्षित है.
- मैंने हाल ही के दिनों में 140 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 119 घंटे तक इस मामले पर चर्चा की है. इस विधेयक में उनके सुझावों को विधिवत शामिल किया गया है.
- कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 14 के आधार पर इस विधेयक को असंवैधानिक घोषित किया है. मैं कहना चाहूँगा कि यह विधेयक किसी भी तरह से असंवैधानिक नहीं है. न ही यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. यह विधेयक अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है. यह संविधान के अनुसार है.
- हम अपनी बहनों/बेटियों या अपने धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आने वाले किसी को स्वीकार नहीं करने की गलती नहीं कर सकते. हम निश्चित रूप से उन्हें स्वीकार करेंगे, उन्हें नागरिकता देंगे और पूरी दुनिया के सामने उनका सम्मान करेंगे.
- अल्पसंख्यकों की हमारी परिभाषा गलत नहीं है. यह पूरा विधेयक उन तीन देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है. बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हो सकते क्योंकि इस्लाम उनका राष्ट्रीय धर्म है.
- इन देशों में बहुत सारे मंदिरों को ध्वंस कर दिया गया था. अफगानिस्तान में 1992 में, 2 लाख हिंदू और सिख धार्मिक स्थल थे और 2018 में केवल 500 ही बचे हैं. पूरा देश धार्मिक स्थलों के विध्वंस का गवाह बना. भगवान बुद्ध की प्रतिमा को एक कैनन शेल द्वारा नष्ट कर दिया गया था. ये अल्पसंख्यक कहाँ जायेंगे?
- मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि शरणार्थी और घुसपैठिये के बीच एक बुनियादी अंतर है.
- नेहरू-लियाकत संधि की गलती को प्रधानमंत्री मोदी ने सही किया है.

विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अलग पाकिस्तान की मांग और 'डायरेक्ट एक्शन' के खतरे के बीच भारत की स्वतंत्रता दुखद सांप्रदायिक हिंसा के साथ आयी, जिसमें दस लाख से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित हुआ. विभाजन की मांग आखिरकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से पूरी हुई, जिसने कुल भारतीय क्षेत्र का लगभग एक तिहाई हिस्सा, कुल मुस्लिम आबादी के पांचवे हिस्से को दे दिया गया. जिसके बाद पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण हुआ. संबंधित धार्मिक लोगों के लिए दोनों पक्षों की जनसंख्या का आदान-प्रदान अवास्तविक और अस्वाभाविक विभाजन के लिहाज से व्यावहारिक सांत्वना हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से दूरदर्शिता की कमी और दोषपूर्ण धर्मनिरपेक्षता के जुनून ने हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी. भारत में हिंदू, सिख और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय को लेकर चिंतित कई लोगों ने मुखर रूप से प्रस्तावित किया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को अपने संबंधित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में निर्णय लेना होगा, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जोर देकर कहा कि पहले पाकिस्तान को उसके अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित करने दें, इसके बाद ही हमें अपने देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मसौदे को अंतिम रूप देना चाहिए. दुर्भाग्य से इस संबंध उठने वाली आवाजों को संविधान सभा में बहरे कान मिले और 8 अप्रैल, 1950 को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान के बीच 'नेहरू-लियाकत समझौते' पर हस्ताक्षर करने से यह सब खत्म हो गया. इस एक निर्णय ने हिंदुओं, सिखों और पाकिस्तान के अन्य अल्पसंख्यकों का भाग्य इस्लामी कट्टरपंथियों के हाथों में समर्पित कर दिया, जिन्होंने उन्हें हर संभव तरीके से निशाना बनाया और उत्पीड़ित किया.

नेहरू-लियाकत संधि

भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने 8 अप्रैल, 1950 को एक द्विपक्षीय समझौता किया, जिसमें वे दोनों पक्षों की ओरे से बड़े पैमाने पर पलायन के बाद अपने क्षेत्र में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाये रखने और सुनिश्चित करने पर सहमत हुए. उस समय भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गयी थी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस ऐतिहासिक भूल का विरोध करते हुए दिल्ली में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से पहले 8 अप्रैल को ही नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. इस तरह के वास्तविक प्रसंग के बावजूद तत्कालीन नेतृत्व ने यह समझौते किया, जिसमें कहा गया था कि-

भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि दोनों देश कानून और नैतिकता के आधार पर अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यकों को धर्म से इतर, नागरिकता की पूर्ण समानता, जीवन, संस्कृति, संपत्ति और व्यक्तिगत सम्मान के संबंध में सुरक्षा की पूर्ण भावना, संबंधित देश के भीतर आवाजाही की स्वतंत्रता, पेशे, अभिव्यक्ति और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे. अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के पास अपने देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने, राजनीतिक या अन्य कोई भी कार्य करने और अपने देश के नागरिक और सशस्त्र बलों में सेवा करने के लिए भी बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों के समान अवसर उपलब्ध होंगे. दोनों सरकारें इन अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित करती हैं और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने का वादा करती हैं. भारत के प्रधानमंत्री ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि भारत में उसके संविधान द्वारा सभी अल्पसंख्यकों को इन अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया कि पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव में भी ऐसा ही प्रावधान मौजूद है. यह दोनों सरकारों की नीति है कि इन लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उनके सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित किया जायेगा.

दोनों सरकारें इस बात पर जोर देना चाहती हैं कि अल्पसंख्यकों की निष्ठा और वफादारी उस देश के लिए है, जिसके वे नागरिक हैं और यह कि उन्हें अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अपने देश की सरकार के पास जाना चाहिए.

- नेहरू-लियाकत संधि, 1950

पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री की कहानी

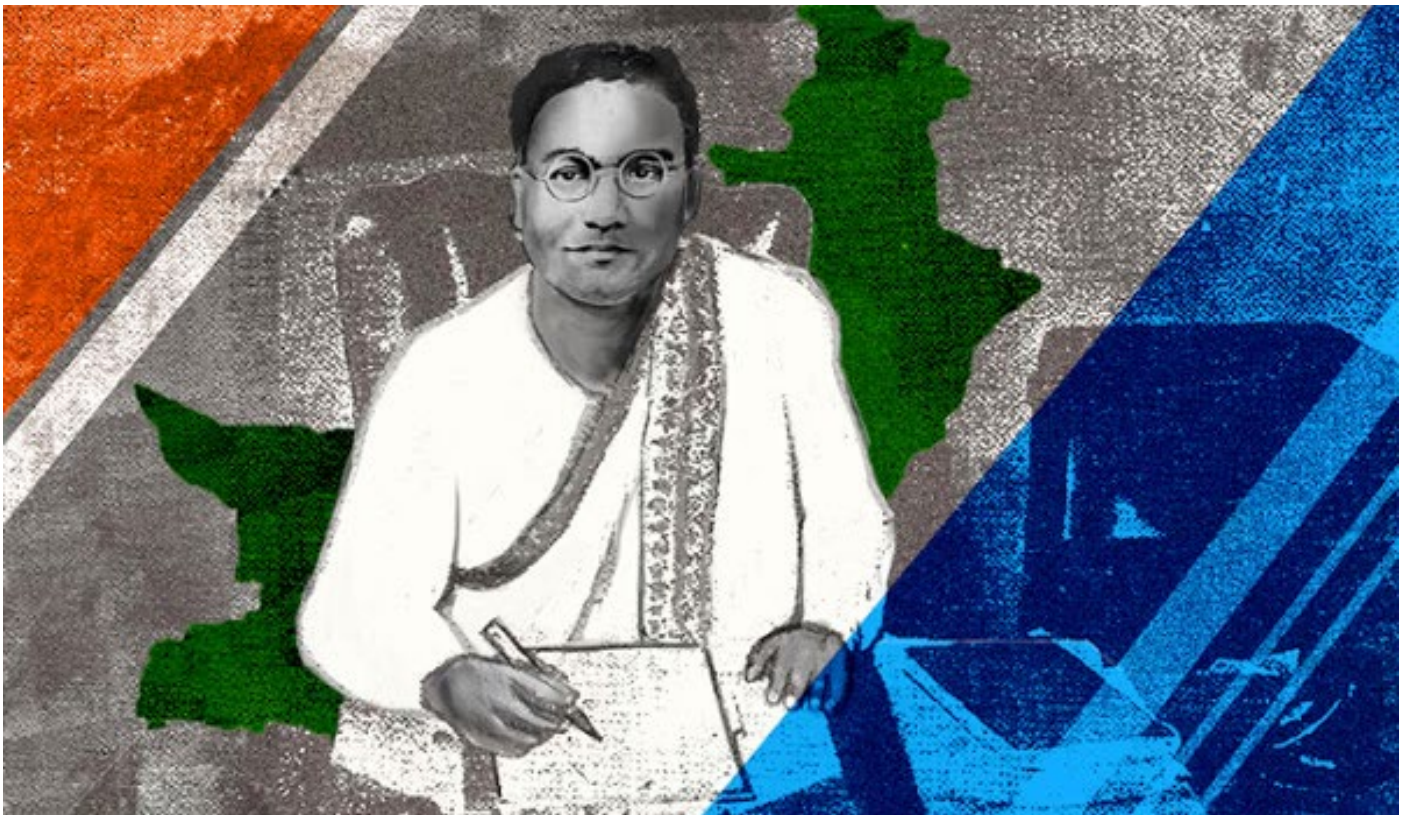

ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री दलित थे लेकिन क्या हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी दलित थे. उनका नाम जोगेंद्र नाथ मंडल था और यह दुखद था कि उन्होंने अपने समर्थन से मुस्लिम लीग को असम में सिलहट जैसे जिलों को प्राप्त करने में मदद की. विडंबना यह है कि 8 अक्टूबर, 1950 को पाकिस्तान के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद भारत देश के पश्चिम बंगाल में एक शरणार्थी के रूप में उनकी मृत्यु हो गई. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया गया उनका त्यागपत्र, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए गंभीर अत्याचारों की प्रकृति और पैमाने के संबंध में सब कुछ बताता है.

उस त्यागपत्र के कुछ अंश यहाँ दिये गये हैं, जो बताते हैं कि नेहरू-लियाकत संधि कितनी बड़ी भूल थी, जो मंडल के इस्तीफे के ठीक छह महीने पहले हस्ताक्षरित की गयी थी,

"पूर्वी बंगाल की पिछड़ी हिंदू जनता के उत्थान के मेरे आजीवन मिशन की विफलता पर मुझे भारी दुःख हो रहा है और यह निराशा की भावना मुझे आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफे के लिए मजबूर करती है. यह उचित होगा कि मुझे उन कारणों के बारे में विस्तार से बताना चाहिए जिन्होंने मुझे यह निर्णय लेने के लिए विवश किया है.

3. मार्च 1946 में हुए आम चुनावों के बाद श्री एच.एस. सुहरावर्दी मार्च 1946 में लीग संसदीय दल के नेता बने और अप्रैल 1946 में लीग मंत्रालय का गठन किया. मैं एकमात्र अनुसूचित जाति का सदस्य था जो महासंघ के टिकट पर जीता था. मुझे श्री सुहरावर्दी के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था. उस वर्ष अगस्त के 16वें दिन कलकत्ता में मुस्लिम लीग द्वारा 'द डायरेक्ट

एक्शन डे' के रूप में मनाया गया. जैसा कि आप जानते हैं, यह एक प्रलय में तब्दील हुआ. हिंदुओं ने लीग मंत्रालय से मेरे इस्तीफे की मांग की. मेरा जीवन संकट में था. मुझे लगभग हर दिन धमकी भरे पत्र मिलने लगे, लेकिन मैं अपनी नीति पर कायम रहा. इसके अलावा, मैंने अपना जीवन जोखिम में डालकर भी हमारी पत्रिका 'जागरण' के माध्यम से अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अपील जारी की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच खूनी झगड़े से वे खुद को दूर रखें. मैं इस तथ्य को कृतज्ञतापूर्वक ही स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं अपनी जाति के हिंदू पड़ोसियों के चलते क्रोधित हिंदू भीड़ के प्रकोप से बचा था. कलकत्ता नरसंहार के बाद अक्टूबर 1946 में 'नोआखली दंगा' हुआ. वहाँ अनुसूचित जाति सहित हिंदुओं की हत्या कर दी गयी और सैकड़ों को जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया गया. हिंदू महिलाओं का बलात्कार और अपहरण किया गया. मेरे समुदाय के लोगों को भी जान-माल का नुकसान हुआ. इन घटनाओं के तुरंत बाद, मैंने टिप्पेरा और फेनी का दौरा किया और कुछ दंगा प्रभावित क्षेत्रों में गया. हिंदुओं के भयानक कष्टों ने मुझे दुखित कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने मुस्लिम लीग के साथ सहयोग की नीति जारी रखी.

8. इस संबंध में यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि मैं बंगाल के विभाजन के विरोध में था. इस संबंध में एक अभियान शुरू करने में मुझे न केवल सभी पक्षों से जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि नहीं बताने योग्य दुर्व्यवहार, अपमान और अनादर का भी सामना करना पड़ा. बड़े अफसोस के साथ, मैं उन दिनों को याद करता हूँ, जब इस भारत-पाकिस्तान उप-महाद्वीप के 32 करोड़ हिंदुओं ने मेरी ओर अपनी पीठ कर ली थी और मुझे हिंदुओं और हिंदू धर्म का दुश्मन करार दिया गया, लेकिन मैं पाकिस्तान के प्रति अपनी वफादारी में अडिग और अविचलित रहा.

11. मुझे झकझोरने वाली पहली घटना गोपालगंज के पास दिघारकुल नामक एक गाँव में घटी जहाँ एक मुस्लिम की झूठी शिकायत पर स्थानीय नामशूद्रों पर क्रूर अत्याचार किया गया. तथ्य यह था कि एक मुसलमान जो नाव में जा रहा था, उसने मछली पकड़ने के लिए अपना जाल फेंकने का प्रयास किया. वहाँ पहले से ही इसी उद्देश्य से मौजूद एक नामशूद्र ने अपने सामने जाल फेंकने का विरोध किया. इसके बाद कुछ कहा-सुनी हुई और मुस्लिम नाराज होकर पास के एक मुस्लिम गाँव में गया और झूठी शिकायत की कि उसकी नाव में एक महिला और उनके साथ नामशूद्रों ने मारपीट की है. उस समय, गोपालगंज का एस.डी.ओ. नहर के रास्ते एक नाव से गुजर रहा था, जिसने बिना किसी जाँच के शिकायत को सच मान लिया और नामशूद्रों को दंडित करने के लिए हथियारबंद पुलिस को मौके पर भेज दिया. सशस्त्र पुलिस आ गयी और स्थानीय मुसलमान भी उनके साथ हो लिये. उन्होंने न केवल नामशूद्रों के घरों पर छापा मारा, बल्कि पुरुषों और महिलाओं, दोनों को बेरहमी से पीटा, उनकी संपत्तियों को नष्ट कर दिया और कीमती सामान ले गये. एक गर्भवती महिला की बेरहमी से पिटाई के बाद मौके पर ही गर्भपात हो गया. स्थानीय प्रशासन की ओर से इस क्रूर कार्रवाई ने क्षेत्र में दहशत पैदा कर दी.

12. पुलिस उत्पीड़न की दूसरी घटना 1949 के शुरुआती दौर में बारिसल जिले में गौरनदी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई. यहाँ एक केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों के दो समूहों के बीच झगड़ा हुआ. एक समूह, जो पुलिस की गुड बुक में था, उसने अपने विरोधियों के कम्युनिस्ट होने की दलील पर साजिश रची. पुलिस स्टेशन पर हमले के खतरे की सूचना पर गौरनदी के ओ.सी. ने मुख्यालय से सशस्त्र बलों के लिए आग्रह किया. फिर सशस्त्र बलों की मदद से पुलिस ने इलाके में बड़ी संख्या में घरों पर छापा मारा. यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी तो दूर, राजनीति में कभी सक्रिय नहीं रहे घरों से भी मूल्यवान संपत्ति छीन ली गई. बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया. कई हाई इंग्लिश स्कूलों के शिक्षकों और छात्रों को संदिग्ध कम्युनिस्ट माना गया और अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया. मेरे पैतृक गाँव के बहुत करीब होने से मुझे इस घटना के बारे में पता चल गया था. मैंने जाँच के लिए जिला मजिस्ट्रेट और एस.पी. को लिखा. स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने भी एस.डी.ओ. द्वारा जाँच के लिए आग्रह किया, लेकिन कोई जाँच नहीं हुई. यहाँ तक कि जिला अधिकारियों को लिखे गए मेरे पत्रों के पहुँचने संबंधी कोई जानकारी भी नहीं दी गयी. तब मैं इस मामले को पाकिस्तान के सर्वोच्च प्राधिकरण के संज्ञान में लाया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ.

22. ढाका में मेरे नौ दिनों के प्रवास के दौरान, मैंने शहर और उपनगरों के अधिकांश दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. मैंने तेजगाँव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मीरपुर का भी दौरा किया. ढाका और नारायणगंज के बीच, ढाका और चटगाँव के बीच ट्रेनों में सैकड़ों निर्दोष हिंदुओं की हत्या की घटना ने मुझे सबसे ज्यादा आघात पहुँचाया. ढाका दंगों के दूसरे दिन मैंने पूर्वी बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे ज़िला, नगर और ग्रामीण इलाकों में दंगा फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन को सभी एहतियाती कदम उठाने के लिए तत्काल निर्देश जारी करें. 20 फरवरी 1950 को मैं बारिसल शहर पहुँचा और बारिसल में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकर हैरान रह गया. नगर में, कई हिंदू के घर जला दिये गये और बड़ी संख्या में हिंदू मारे गये. मैंने जिले के लगभग सभी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया. मैं यह देखकर हैरान रह गया कि मुस्लिम दंगाईयों द्वारा काशीपुर, माधबपाशा और लकुटिया जैसी जगहों पर भी दंगे भड़काए गए, ये सभी स्थान नगर से केवल छह मील के दायरे में थे और यहाँ पर पक्की सड़कें भी थीं. माधबपाशा के ज़मींदार के घर पर लगभग 200 लोग मार दिए गये और 40 घायल हुए. मुलादी नामक स्थान उस समय नरक के समान था. अकेले मुलादी बन्दर में मारे गए लोगों की संख्या 300 से अधिक होगी, जैसा कि कुछ अधिकारियों और स्थानीय मुसलमानों ने मुझे बताया था. मैंने मुलादी गाँव का दौरा किया, जहाँ मुझे कुछ स्थानों पर शवों के कंकाल मिले. मुझे कुत्ते और गिद्ध नदी-किनारे शवों को खाते हुए मिले. मुझे वहाँ जानकारी मिली कि सभी वयस्क पुरुषों की हत्या के बाद युवा लड़कियों को उपद्रवियों के रिंग लीडरों के बीच बाँटा गया था. राजापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले कैबरतखली नामक स्थान पर 63 लोग मारे गये थे. राजापुर थाने से पत्थर फेंकेने तक के दायरे में स्थित हिंदू घरों को लूट लिया गया, जला दिया गया और वहाँ रहने वालों को मार दिया गया. बाबूगंज बाजार की सभी हिंदू दुकानों को लूट लिया गया, जला दिया गया और बड़ी संख्या में हिंदूओं को मारा गया. प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, अकेले बारिसाल जिले में मृतक व्यक्तियों की संख्या लगभग 2,500 थी. ढाका और पूर्वी बंगाल में हुए दंगे में लगभग 10,000 लोगों के मारे जाने का अनुमान था. अपने प्रियजनों सहित सबकुछ खो देने वाली महिलाओं और बच्चों के विलाप ने मेरे दिल को पिघला दिया. मैंने केवल अपने आपसे पूछा "पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर क्या हो रहा था."

27. मैं इस संबंध में अपने इस दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहूँगा कि पूर्वी बंगाल सरकार अभी भी हिंदुओं को प्रांत से बाहर खदेड़ने की सुनियोजित नीति का पालन कर रहा है. कई अवसरों पर आपके साथ अपनी चर्चा में, मैंने अपनी यह राय प्रकट की. मुझे कहना होगा कि पाकिस्तान से हिंदुओं को बाहर निकालने की यह नीति पूरी तरह से पश्चिम पाकिस्तान में सफल हो गयी है और पूर्वी पाकिस्तान में भी पूरी होने जा रही है. एक मंत्री के रूप में डी.एन.बरारी की नियुक्ति और इस संबंध में मेरी सिफारिश पर पूर्वी बंगाल सरकार की सीधी आपत्ति इस्लामिक राज्य की स्पष्ट रूप से पुष्टि करती है. पाकिस्तान ने हिंदुओं को पूर्ण संतुष्टि और सुरक्षित महसूस नहीं होने दिया. वे अब हिंदू बुद्धिजीवियों से छुटकारा पाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन किसी भी तरह उनसे प्रभावित न हो.

34. जहां तक हिंदुओं का संबंध है, अब यह संक्षेप में पाकिस्तान की समग्र तस्वीर को दर्शाता है और मेरा यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पाकिस्तान के हिंदुओं की सभी अभिलाषाओं और उद्देश्यों को दरकिनार कर उनके अपने घरों में ही उन्हें "देशविहीन" कर दिया गया है. उनका इसके सिवा कोई अन्य दोष नहीं है कि वे हिंदू धर्म को मानते हैं. मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा बार-बार घोषणाएँ की जा रही हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है और रहेगा. इस्लाम को सभी सांसारिक बुराइयों के संप्रभु उपाय के रूप में पेश किया जा रहा है."

- जे.एन. मंडल, 8 अक्टूबर 1950

इसके बाद मंडल भारत वापस आये और पश्चिम बंगाल में रहने लगे. वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल में बंगाली हिंदू प्रवासी/शरणार्थी के रूप में उनकी मृत्यु हो गयी. पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री की मृत्यु भारत में शरणार्थी के रूप में होना अपने अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में पाकिस्तान (पूर्व या पश्चिम में) की विफलता का प्रमाण है.

अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित न कर पाने में पाकिस्तान की विफलता की स्थिति में, वे अल्पसंख्यक विभाजन की स्थिति के कारण कर्तव्य के रूप में भारत का दायित्व बन जाते हैं और इन्हें धर्म परिवर्तन या मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है.

पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसांख्यिकी

जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, तब देश में मुस्लिम आबादी का हिस्सा 9.8% था, यानी भारत में लगभग 3 करोड़ मुस्लिम थे. 2019 में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 14.2% है यानी 17.22 करोड़ है. हालाँकि पाकिस्तान और बांग्लादेश में, हिंदू और सिख आबादी विलुप्त होने के कगार पर है और आँकड़े स्वयं नेहरू-लियाकत संधि की बड़ी विफलता को बताते हैं. विभाजन के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अपनायी गयी नीतियों ने सीमा के दूसरी ओर छूटे इन धार्मिक अल्पसंख्यकों के जीवन में तबाही ला दी थी और अब वे विलुप्त होने के कगार पर हैं. 'इस्लामिक राज्य' की ओर बसे इन उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के पास अपने प्राकृतिक घर के रूप में भारत में शरण लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. यही नहीं, विभाजन के दौरान हमने (भारतीय नेतृत्व) उन्हें यह आश्वासन भी दिया था कि अगर भविष्य में उनके साथ कुछ अनहोनी हुई, तो भारत उनकी देखभाल करेगा, लेकिन विभाजन के बाद जो हुआ, वह विभाजन के दौरान इन धार्मिक अल्पसंख्यकों से जतायी गयी 'प्रतिबद्धता' और आश्वासन का पूरी तरह खंडन और अवहेलना है.

विभाजन के सात दशक बाद भी भारत में नागरिकता का अधिकार नहीं रखने वाले ऐसे प्रवासी हिंदू और सिख शरणार्थियों की दुर्दशा भारत के मूल और सांस्कृतिक विषय के प्रति कांग्रेस की उदासीनता का प्रमाण है. उनकी उदासीनता 'धर्मनिरपेक्षता' के प्रति खोखली प्रतिबद्धता की पृष्ठभूमि में निरंतर जारी है, लेकिन इसके माध्यम से ये राजनीतिक दल अपना वोटबैंक साधने के लिए धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं और उन इस्लामिक गुटों का भरोसा बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं जो विभाजन में किसी न किसी तरह से शामिल रहे थे. अपने पूरे राजनीतिक जीवन में शायद ही इन दलों ने कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के विषय में सोचा हो, क्योंकि उनके लिए हिन्दुओं और सिखों के अधिकार राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं.

पाकिस्तान में धर्म के आधार पर जनसंख्या				
1941:*				
	मुस्लिम	हिंदू	सिख	ईसाई
पाकिस्तान	79.2	13.5	5.2	1.5
*स्रोत---1941 धार्मिक समुदायों का संयोजन (सभी आँकड़े प्रतिशत में हैं)				

2015:*					
प्रशासनिक इकाई	मुस्लिम	ईसाई	हिंदू (जाति)	कादियानी (अहमदी)	अनुसूचित जाति
पाकिस्तान	96.28	1.59	1.60	0.22	0.25
ग्रामीण	96.49	1.10	1.80	0.18	0.34
शहरी	95.84	2.59	1.16	0.29	0.06

*स्रोत— पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो, पाकिस्तान सरकार, जनगणना, 2015

बांग्लादेश की जनसंख्या, 1951-2011					
	मुस्लिम	हिंदू	बौद्ध	इसाई	अन्य
1951	76.9	22.0	0.7	0.3	0.1
1961	80.4	18.5	0.7	0.3	0.1
1974	85.4	13.5	0.6	0.3	0.1
1981	86.7	12.1	0.6	0.3	0.1
1991	88.3	10.5	0.6	0.3	0.1
2001	89.7	9.2	0.7	0.3	0.2
2011	90.4	8.5	0.6	0.3	0.1

(सभी आंकड़े प्रतिशत में है)

"मैं पूरी गंभीरता और विनम्रता के साथ पूछता हूँ कि संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? (नेहरू-लियाकत संधि) क्या इस समझौते का मुख्य उद्देश्य यह नहीं था कि हिंदू बिना भय के सुरक्षित रूप से पूर्वी बंगाल में रह सकें, वहाँ कोई पलायन नहीं होगा और जो लोग चले गए थे, समझौते के अनुसार वे अपने घर वापस आ सकते हैं? क्या यह संधि का उद्देश्य नहीं था कि अल्पसंख्यकों के मन में खुद के प्रति सुरक्षा की भावना हो ताकि वे बिना किसी भय के अपने जीवन का निर्णय स्वयं कर सकें? अगर इस दृष्टिकोण से निर्णय लेना हो तो निश्चित रूप में यह समझौता विफल हो गया है. पलायन जारी है, अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की तीव्र भावना जारी है....

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी , संसद में बंगाल की स्थिति पर चर्चा के दौरान, 7 अगस्त, 1950

संशोधन विधेयक के प्रावधान

नागरिकता संशोधन विधेयक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये प्रवासियों का संरक्षण करता है- जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और भारत में अपनी वीजा अवधि समाप्त होने या अधिक समय तक रहने के मामले में किसी भी प्रकार से परेशान हैं. अन्य क्लॉज (Clause) भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अवधि जो पहले ग्यारह वर्ष थी उसे कम करके पाँच वर्ष करता है. विधेयक के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों को अवलोकन के लिए यहाँ पर पुनः दिया गया है -

क्लॉज़ (Clause)2. नागरिकता अधिनियम, 1955 में (इसके बाद मुख्य अधिनियम के रूप में संदर्भित), धारा 2 में, सब-सेक्शन (1) में, क्लॉज़ (Clause) (बी) में, निम्नलिखित शर्त सम्मिलित की जायेगी, जो यह है कि: -

"अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, जो 31 दिसम्बर, 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर गया हो और जिसे केंद्र सरकार द्वारा या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की सब-सेक्शन (2) (धारा) के क्लॉज़ (सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत बनाये गये किसी भी नियम या आदेश के अनुप्रयोग से छूट दी गयी हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित नहीं किया जायेगा."

क्लॉज़ 6 –मुख्य अधिनियम की तीसरी अनुसूची के क्लॉज़ (डी) में, निम्नलिखित शर्त सम्मिलित की जायेगी, जो यह है कि: -

'अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए इस क्लॉज़ के तहत आवश्यक भारत सरकार में सेवा या कुल निवास अवधि "ग्यारह वर्ष से कम नहीं" के स्थान पर "पाँच वर्ष से कम नहीं" के रूप में पढ़ी जायेगी.

असम की स्थिति और घुसपैठ के बढ़ते खतरे

इस विधेयक के विरोध में मुख्य रूप से असम की स्थिति का तर्क दिया जा रहा है. यह कहा जाता है कि विधेयक असम समझौते की भावना के विरुद्ध है. समझौते से वास्तव में क्या निकलता है और बांग्लादेश से अवैध मुस्लिम घुसपैठ के दुष्चक्र को समझने के क्रम में, हमें असम को भारतीय संघ में शामिल किये जाने के पीछे के इतिहास और मुस्लिम लीग द्वारा विभाजन के दौरान इसे अपने इस्लामी गणराज्य का हिस्सा बनाने में मिली विफलता को समझने की आवश्यकता है. 16 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान ने ब्रिटिश भारतीय राज्यों को ए, बी और सी श्रेणियों में बाँटने की घोषणा की. पश्चिमी भारत में प्रस्तावित सेटअप की तरह पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल जोन बनाते हुए असम को बंगाल के साथ ग्रुप सी में रखा गया था.

दरअसल असम पर मुस्लिम लीग की हमेशा से ही नजर थी, जिन्ना ने स्वयं 1940 में गुवाहाटी में एक सभा में घोषणा की थी कि असम उनकी जेब में है. यह गोपीनाथ बारदोलोई थे जिन्होंने मुस्लिम लीग और उसके नेता, असम के प्रधानमंत्री

(मुख्यमंत्री) सैयदसादुल्ला के इन इरादों को उजागर किया और उनकी सरकार को गिरा दिया. वह मुख्यमंत्री बने और कैबिनेट मिशन प्लान की इस योजना को खारिज कर दिया और असम के स्वदेशी चरित्र को बनाये रखने के लिए संघर्ष किया और महात्मा गांधी के समर्थन से इसे पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य का हिस्सा बनने से बचा लिया.

8 नवंबर, 1998 को भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गयी एक रिपोर्ट में असम के तत्कालीन राज्यपाल, लेफ्टिनेंट जनरल एस के सिन्हा ने एक विस्तृत विश्लेषण के बाद कहा कि सैयदसादुल्ला के मुस्लिम लीग मंत्रालय के दौरान असम में राजनीतिक सक्रियता से बंगाली मुसलमानों के प्रवास को प्रोत्साहित करने के ठोस प्रयास किये गए थे. उन्होंने वायसराय जर्नल में वायसराय लॉर्ड वेवेल के लेख का उल्लेख करते हुए बताया कि, "मुख्य राजनीतिक समस्या यह थी कि मुस्लिम मंत्रियों द्वारा खाली पड़ी सरकारी भूमि पर प्रवास की गतिविधियों को बढ़ाना और वो भी ज्यादा अनाज पैदा करने के नाम पर, लेकिन वास्तव में ये मुसलमान जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं".

हालांकि मुस्लिम लीग के बुरे इरादे असम को हथियाने में विफल रहे, परन्तु राज्य में मुस्लिम घुसपैठ जारी रही. उस चिंता के परिणामस्वरूप असम से संविधान सभा के सदस्य रोहिणी कुमार चौधरी ने 12 अगस्त, 1949 को राज्य के अन्य सभी प्रमुख सदस्यों की ओर से असम में घुसपैठ करने वालों को नागरिकता देने के खिलाफ तीखी बहस की. उन्होंने मुस्लिम लीग द्वारा असम में कम से कम 3 लाख मुस्लिम घुसपैठियों के होने के कबूलनामे को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज के रूप में संविधान सभा में अख़बार की रिपोर्टों को साझा किया. उन्होंने बढ़ती घुसपैठ के कारण असम का अधिक ध्यान रखे जाने हेतु राजनैतिक दलों से आग्रह किया. उसी दिन, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने सदन को आश्वासन दिया कि संसद अपने विवेक से असम में हो रहे अवैध प्रवास को देखेगी और देशी असमियों के अधिकारों को सुरक्षित करेगी. बाद में अंतरिम संसद ने मूल असमियों के सांस्कृतिक और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए एक कानून - आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 पारित किया जिसके तहत केंद्र सरकार भारत के बाहर से असम में आये किसी भी व्यक्ति, और जिसका "**असम में रहना भारत की आम जनता या उसके किसी भी वर्ग या असम में अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए हानिकारक है**"को निकालने का आदेश दे सकती थी, **लेकिन उन हिंदू शरणार्थियों को इससे बाहर रखा गया, जो बांग्लादेश में दंगों के दौरान भारत में शरण के लिए आये थे.**

1947 में असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल करने में विफल होने के बाद पाकिस्तानियों के बीच यह नाराजगी का मुख्य कारण रहा. **ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी पुस्तक, मिथक ऑफ़ इंडिपेंडेंस में लिखा है,** "यह सोचना गलत होगा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान को बाँटने वाला एकमात्र विवाद है, हालांकि निस्संदेह यह सबसे प्रमुख कारण है. कश्मीर विवाद जितना ही महत्वपूर्ण असम और पूर्वी पाकिस्तान से सटे भारत के कुछ जिलों का विवाद भी है. जिसे लेकर पाकिस्तान के पास अच्छे तर्क हैं". बुरे इरादों से प्रेरित मुस्लिम घुसपैठ ने असम की जनसांख्यिकी को इतना बदल दिया कि राज्य के कई हिस्सों में मूल असमिया अल्पसंख्यक हो गये. उनके सार्वजनिक स्थान, आर्थिक संसाधन, रोजगार, आदि सभी घुसपैठियों के पास जा रहे थे.

असम को हथियाने की मौजूदा कोशिशों के पीछे पूरा शैतानी इरादा पाकिस्तान के आदेश पर असम के इस्लामीकरण की इच्छा को पूरा करना है. इसका संपूर्ण उद्देश्य भारत के पूर्वी हिस्से में भी एक अन्य कश्मीर जैसी स्थिति पैदा करना है. **घुसपैठ एक बाहरी आक्रामकता के अलावा कुछ नहीं है और असमिया प्रतिरोध अवैध घुसपैठ के खिलाफ है. शरण लेने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है.** आम असमिया लोग असम को इस्लामी राज्य में बदलने की इस साजिश को महसूस करते हैं और नागरिकता विधेयक में संशोधन को स्वीकार करते हैं और बंगाली हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार करके असम के लोग इस साजिश को रोकने के लिए तैयार हैं. यह कदम अंततः जनसांख्यिकीय परिवर्तन को रोकने में उनकी मदद करेगी जो असम के कई जिलों में पहले ही हो चुकी है.

बंगाल और बंगाली हिंदुओं की स्थिति

बंगाली और पंजाबी वे दो समुदाय हैं जिन्हें विभाजन के दौरान बड़ा नुकसान हुआ. पूर्वी पाकिस्तान में पूरे बंगाल को शामिल करने की साजिश हुई, जिसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नाकाम कर दिया था. डायरेक्ट ऐक्शन की ज्वालामुखी ने बंगाल को मुस्लिम लीग के इस्लामवादी विचारों का शिकार बना दिया था. जो लोग पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करने के बाद अपनी एकमात्र आशा और सभ्यतागत मातृभूमि होने के नाते भारत में शरण लेने के लिए चले आये, वे अभी भी भारत में कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिशोध, विश्वासघात और तुष्टीकरण की खतरनाक राजनीति के कारण बिना नागरिकता के हैं. मतुआ समुदाय का मामला जो बंगाल में नामशूद्रों का एक बड़ा हिस्से प्रभावित करता है, वास्तव में यह दिल दहलाने वाला है.

इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग 1960 में पूर्वी पाकिस्तान में इस्लामवादियों द्वारा किये गये अत्याचारों से अपनी हिंदू जड़ों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में पलायन कर गया. तब से पश्चिम बंगाल में हर राजनीतिक ताकतों द्वारा उनका राजनीतिक शोषण किया जाता रहा है. कम्युनिस्ट,जो धार्मिक पहचान को अफीम मानते हैं, वे अक्सर स्वर्गीय बीनापाणि देवी, जिन्हें ममता बनर्जी सहित सभी लोग बोड़ो माँ (बड़ी माँ) कहते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए ठाकुरनगर भागते थे. कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए मतुआ समुदाय की राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया. इसी प्रकार ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में वाम सरकार को गिराने के लिए मतुआ समुदाय का शोषण किया. दुर्भाग्य से ये राजनीतिक दल समुदाय की समस्याओं के प्रति उदासीन रहे हैं और बड़ी ढिठाई से उन्हें भारतीय पहचान देने से इनकार करते रहे हैं, जिसके वे हकदार हैं.

तृणमूल मतुआ समुदाय से किये गये अपने वादे से पीछे हट गयी

2009 के आम चुनावों और 2011 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय से राजनीतिक समर्थन की भीख मांगी और इस समुदाय के मजबूती से उनके साथ खड़े होने से ही वे अपने चुनावी प्रदर्शन को बरकरार रखने में सक्षम रहीं, क्योंकि ये वामपंथियों द्वारा शोषण के शिकार हुए थे. बदले में ममता ने समग्र रूप से समुदाय के हित का ध्यान रखने का वादा किया, उनमें से एक जाहिर तौर पर उन्हें नागरिकता देने की समुदाय की लंबे समय से लंबित मांग भी थी. यहाँ पर यह उल्लेख करना उचित है कि टीएमसी 2013 तक यूपीए का हिस्सा थी, लेकिन इसने कभी भी केंद्र में समुदाय के हित को बढ़ाने की जहमत नहीं उठायी. अब जब भारतीय जनता पार्टी ने मतुआ और कई अन्य उत्पीड़ित समुदायों सहित बंगाली हिंदुओं को नागरिकता के सपने को साकार करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, तो किसी और ने नहीं, बल्कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, टीएमसी ने ही यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि यह विधेयक पारित न हो सके. एक तरफ उसने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का विरोध किया और तर्क दिया कि बंगालियों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जायेगा और इसलिए वह उसका समर्थन नहीं कर सकती, लेकिन जब भाजपा ने असम में अपनी सरकार को दाँव पर रखते हुए यह सुनिश्चित किया कि लोकसभा में नागरिकता संशोधन पारित करने से किसी भी बंगाली हिंदू को भारत नहीं छोड़ना पड़ेगा, तो यह ममता ही थीं जिन्होंने विधेयक को राज्यसभा में गिराने हेतु कोशिश की. यह समझ से परे है कि किन राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन यह बात तय है कि एनआरसी पर उनका विरोध या नागरिकता विधेयक के बारे में उनकी चिंताएँ हिंदू बंगाली शरणार्थियों की वास्तविक चिंताओं से जुड़ी नहीं हैं, **बल्कि वे अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के हितों का ध्यान रखती हैं जो पूरे बंगाल को हथिया लेना चाहते हैं और 1947 को दोहराना चाहते हैं.**

उन्होंने बंगाल में इस्लामवादियों के तुष्टीकरण के एकमात्र एजेंडे को लेकर विधेयक का विरोध किया, जो इसे हर गुजरते दिन के साथ एक और पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं. यहाँ तक कि उन्होंने समुदाय की कुलमाता, 102 वर्षीय बीनापाणि देवी द्वारा लिखे गये पत्र की भी परवाह नहीं की, जिन्होंने ममता से आग्रह किया कि,

"मैं आपको याद दिला दूँ कि शरणार्थियों की नागरिकता और पुनर्वास लंबे समय से मतुआ समुदाय की स्थायी मांग रही है. आपने मुझसे वादा किया था कि आप मतुआ समुदाय के हित में काम करेंगी. नागरिकता हमारी लंबे समय से मांग रही है. अब जब एक अवसर है, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी पार्टी (तृणमूल कांग्रेस) को राज्यसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए कहें वरना मतुआ समुदाय अब आपका समर्थन नहीं करेगा".

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल को अभी भी कट्टरपंथी चरमपंथियों की एक प्रयोगशाला बनाया जा रहा है जो राज्य की जनसांख्यिकी को बदलना चाहते हैं. सत्तारूढ़ टीएमसी के अलावा अन्य सभी राजनीतिक दलों, जैसे कांग्रेस और सीपीआई (एम) ने भी बंगाल में प्रभावी जेहादी वोट-बैंक को बहलाने और खुश करने के लिए अपना रुख बदल दिया है. भाजपा एकमात्र दल है जो बंगाली हिंदुओं की वास्तविक चिंताओं के पीछे मजबूती से खड़ी है और उनके लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार है.

इस मुद्दे पर भारतीय राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक स्थिति

विधेयक पर भारतीय राजनीतिक दलों का बदलता रुख:

दोनों तरफ की सीमा पर अल्पसंख्यकों का असुरक्षित होना सभी राजनीतिक दलों को पूरी तरह से ज्ञात है. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने स्वयं को विधेयक के सबसे मुखर विरोधियों में से एक के रूप में पेश किया है. विभाजन के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके शीर्ष नेतृत्व द्वारा पड़ोसी देशों में हिंदू/सिख अल्पसंख्यकों को यह आश्वस्त किया जाना भी संसदीय रिकॉर्ड में है कि विभाजन के बाद उनके अधूरे एजेंडे के रूप में वे प्रवासियों के हितों को ध्यान में रखने हेतु बाध्य हैं. वामदलों के शीर्ष राजनीतिक नेताओं और सांसदों ने कई बार संसद में भी इन अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और समायोजन के सवाल उठाये हैं. दुर्भाग्य से जब अपनी सांस्कृतिक संतानों के लिए भारत के दरवाजे खोलने का यह सपना साकार होने वाला था, तो यह इन राजनीतिक दलों का पाखंड है जो खुलेआम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से विभाजन के समय इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को दिये गये अपने दायित्व से पीछे हट रहे हैं.

बिछुड़े अल्पसंख्यकों को कांग्रेस द्वारा दिये गये वचन और आश्वासन

1. महात्मा गांधी का वादा:

गांधीजी ने 16 जुलाई,1947 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में वादा किया कि,'यह उन लोगों की समस्या है जो काल्पनिक या

वास्तविक रूप से डरते हैं कि उन्हें पाकिस्तान में अपना घर-बार छोड़ना होगा. यदि उनके दैनिक कार्य या आवाजाही में बाधा उत्पन्न की जाती है या यदि उन्हें अपनी ही भूमि में विदेशी माना जाता है, तो वे वहाँ नहीं रह पायेंगे. उस स्थिति में सीमा के इस तरफ के राज्य का कर्तव्य है कि वह दोनों बांहों से उन्हें स्वीकार करे और उन्हें सभी वैध अवसर प्रदान करे. उन्हें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि वे एक पराई भूमि से नहीं आये हैं.'

गांधीजी ने 21 जुलाई, 1947 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा में भाषण दिया:

पाकिस्तान के एक मित्र लिखते हैं: "भारत में आप 15 अगस्त मनाने की बात कर रहे हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि हम, पाकिस्तान के हिंदू इसे कैसे मनायेंगे? हमारा हृदय उस दिन को लेकर आशंकाओं से भरा है. क्या आप इस बारे में कुछ कहेंगे? हमारे लिए यह दिन मुसीबतों का सामना करने का होगा, उत्सव के लिए बिल्कुल नहीं. यहाँ के मुसलमानों ने हमें डराना शुरू कर दिया है. हम नहीं जानते कि भारत में मुसलमान क्या सोचते हैं. क्या वे भी भयभीत नहीं होंगे? हम यहाँ तक भयभीत हैं कि बड़े पैमाने पर हमारा धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा सकता है. आप कहेंगे कि हमें अपने विश्वास की रक्षा स्वयं करनी चाहिए. यह एक तपस्वी के लिए संभव हो सकता है. गृहस्थ के लिए नहीं है."

श्री जिन्ना अब पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल बनने जा रहे हैं. उन्होंने कहा है कि गैर-मुस्लिमों को बिल्कुल मुसलमानों के समान व्यवहार किया जायेगा. मेरी सलाह है कि हमें उसपर भरोसा करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जायेगा. भारत में मुसलमानों के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया जायेगा. मेरी भावना यह है कि अब दो राज्य हैं, भारत पाकिस्तान से गारंटी मांग सकता है. फिर भी मुझे लगता है कि जब अल्पसंख्यक भारी मन से इस दिन को याद करते हैं, तो 15 अगस्त उत्सव का दिन नहीं है. यह प्रार्थना और आत्म निरीक्षण का एक दिन होगा. यदि दोनों देश उनके प्रति सच्चे हैं, तो उन्हें अभी से दोस्त बनना शुरू कर देना चाहिए. सभी 15 अगस्त को सद्भावना और भाईचारे के रूप में मनायें या इसे बिल्कुल भी नहीं मनाया जाये. आजादी पर खुशी मनाने का दिन तब होगा जब हम एक-दूसरे के लिए ईमानदारी से दोस्ती को महसूस करेंगे, लेकिन यह मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और कोई भी इसे साझा करता नहीं दिखाई पड़ता है. पाकिस्तान के उसी एक मित्र ने तब मुझसे पूछा: यदि पाकिस्तान के सभी हिंदू या उनमें से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू पाकिस्तान से चले आते हैं, तो क्या भारत उन्हें आश्रय देगा?' मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से आश्रय दिया जाना चाहिए. हालांकि, अगर उनमें से संपन्न लोग अपनी पुराने शैली में ही रहना चाहते हैं, तो यह मुश्किल होगा. किसी भी स्थिति में उन्हें निश्चित रूप से रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए और उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए उचित भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन मैं उम्मीद करता रहूँगा कि कोई भी गैर-मुस्लिम पाकिस्तान से डरकर भागने को मजबूर नहीं होगा और कोई भी भारतीय मुसलमान अपनी मातृभूमि से नहीं भागेगा.

संवाददाता आगे पूछता है: "पाकिस्तान में रह गए मकानों और ज़मीन-जायदाद का क्या होगा?" मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पाकिस्तान सरकार को ज़मीन और मकानों के बाजार मूल्य का भुगतान करना चाहिए. ऐसे मामलों में यह प्रथा रही है कि दूसरी सरकार की भी एक राय होती है और इस मामले में यह भारत सरकार होगी, लेकिन मैं यह क्यों मानूँ कि मामला इतना आगे बढ़ जायेगा? पाकिस्तान सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी भूमि और मकानों की कीमत उनके मालिकों को अदा करे.

गांधीजी ने 21 जुलाई, 1947 को श्री कृष्णदास को एक पत्र लिखा था-

"मेरे पास आपका पत्र है. जिन्ना साहब ने स्वयं कहा है कि गैर-मुसलमानों का पाकिस्तान में मुसलमानों के समान स्थान होगा, लेकिन यह देखना बाकी है कि इस तरह की नीति लागू की जाती है या नहीं. गरीब हिंदू जो उत्पीड़न के कारण पलायन करेंगे, निश्चित रूप से भारत में ही समायोजित किये जायेंगे, लेकिन इतना तय है कि उन्हें अपनी रोटी के लिए श्रम करना पड़ेगा."

2. संसद में 5 नवंबर, 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का आश्वासन:

'माननीय सदस्य ने नागरिकता के प्रश्न का उल्लेख किया. इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे विस्थापित लोग, जो भारत में बसने आये हैं, वे नागरिकता के लिए बाध्य हैं. यदि इस संबंध में कानून अपर्याप्त है, तो कानून को बदल दिया जाना चाहिए.'

3. राज्यसभा में 5 मार्च, 1964 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा का वक्तव्य-

"सभापति महोदय, श्री भूपेश गुप्ता द्वारा पेश प्रस्ताव पर सदन ने विस्तार से चर्चा की.....ये पाकिस्तान के लोगों के आंतरिक मामले हैं. उनके जीवन के तरीके और उनकी सरकार की संरचना को चुनना उन पर निर्भर है और जहाँ तक हमारा संबंध है, उन्हें हमारी शुभकामनाएँ हैं, लेकिन, महोदय, जो चीज हमें गहराई से छूती है, वह वहाँ हुई घटनाओं का असर है, जो हमारे मामलों में होती हैं. यदि कुछ उच्च गणमान्य व्यक्ति या यदि कोई महत्वपूर्ण नेता कुछ कहता है, जो शायद कुछ चुनिंदा शब्द हो सकते हैं, लेकिन उसके परिणाम सैकड़ों मील तक होते हैं, ...कुछ प्रतिबद्धताएँ हैं, और क्या वे उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हैं या नहीं और उन्हें लागू करते हैं या नहीं, यह हमें प्रभावित करता है, और इसलिए यह हमारी चर्चा के लिए भी प्रासंगिक हो जाता है, और यह बहुत स्वाभाविक है. महोदय, चूंकि वहाँ जो कुछ भी होता है, उससे इस देश के लोग भी प्रभावित होते हैं, इसलिए इस सदन, इस संसद के सदस्यों के विचार भी उपयोग में आते हैं. इसलिए संसद में दिए गए विभिन्न भाषणों का पाकिस्तान में होने वाली घटनाओं पर भी काफी असर पड़ा.

महोदय, वे अल्पसंख्यक उनकी चिंता हैं, वे उनकी जिम्मेदारी हैं और जब तक वे उस जिम्मेदारी को उठाते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं तो यहाँ कोई सवाल नहीं उठता है, हमें उन लोगों के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वह सुरक्षा प्रदान कर पाने में विफल हो जाते हैं, जब उस देश में अल्पसंख्यक, जिनके लिए हमने अतीत के वर्षों में उस देश के साथ कुछ व्यवस्थाएँ की थीं, लेकिन अब वह पीड़ित हैं,यदि वे व्यवस्थाएँ टूट जाती हैं और वहाँ के अल्पसंख्यक अत्याचार और क्रूर व्यवहार झेलते हैं तो उन क्रूर परिणामों को अंततः हमें भी सहना पड़ता है. यदि यह केवल पीड़ा का सवाल है, तो, उनकी पीड़ा और उनके दर्द से हमें अवगत कराया जा सकता है, हम असहाय रूप से देख सकते हैं क्योंकि हम उनकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनके साथ यदि अति होती है, अर्थात वे लोग पाते हैं कि उनके लिए वहाँ रहना संभव नहीं है, अर्थात्, उनका सम्मान सुरक्षित नहीं है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है. फिर, महोदय, स्थिति कुछ अलग हो जाती है. फिर वे लोग, अपनी जड़ों से दूर कर दिए जाने, उनके घरों में आग लगा दिये जाने, आगजनी और लूटपाट किये जाने के कारण, पाते हैं कि उनके लिए वहाँ रहना असंभव है और वे भारत की ओर पालयन के लिए संघर्ष करते हैं और इसके परिणाम हमें प्रभावित करते हैं. हम उनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं और दूसरी बात, हम उनके आने के बाद क्या करें? यहाँ प्रश्न कुछ लोगों का नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्से का है. जब उन्हें वहाँ से भागकर बेबस होकर यहाँ आना पड़ता है, तब क्या होता है? निश्चित रूप से हम यह स्थिति चाहते हैं कि वहां से आते समय वे उत्पीड़न के शिकार न हों, लेकिन वहाँ भी हम असहाय हैं. मेरा मानना है कि जैसा कि सदन जानता है, एक दिन प्रधानमंत्री ने यहाँ गारो हिल्स में हजारों लोगों - आदिवासी लोगों- के आने के बारे में एक बयान दिया और जब वे भाग रहे थे तो उन पर मशीन गनों से गोली चलायी गयी थी, महिलाएँ और बच्चे गोलियों के शिकार हुए. हम वहाँ उनकी मदद नहीं कर सके. यह कुछ ऐसा नहीं है जो आकलन या अनुमान का विषय है, यह उन लोगों द्वारा पूरी दुनिया में सभी जगह प्रेस में, उजागर किया गया है जो हमसे किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि सूचना के स्वतंत्र विदेशी स्रोतों से जुड़े हैं. हमारे सामने यही स्थिति है और यह सांप्रदायिक उन्माद अब बढ़ गया है. **यह केवल हिंदू नहीं हैं, बल्कि ईसाई भी हैं,** लेकिन ऐसा ही होता है महोदय, जब लोग अपना संतुलन खो देते हैं और जब इस तरह की सांप्रदायिक घृणा दिल में बैठ जाती है, तो कोई संयम, कोई रोक नहीं होती है और वे अन्य लोगों से बदला लेते हैं और उनके लिए दुख की परिस्थिति खड़ी करते हैं. बात यहीं खत्म नहीं होती. यह आगे बढ़ता है, यह विषय और गहरा होता है

और आज यह एक समुदाय के खिलाफ होता है और कल यह दूसरे समुदाय के खिलाफ होता है. यह हर किसी को आगोश में लेता है और फिर यह अपने समुदाय, वर्गों और उप-वर्गों के खिलाफ हो जाता है.

दुनिया अब इसके बारे में अधिक और बेहतर तरीके से जानती है क्योंकि इसाई मिशनरियों ने इस तथ्य को प्रमुखता से उजागर किया है कि इससे 35,000 ईसाई प्रभावित हुए हैं. हो सकता है, उन्होंने शायद इस स्थिति पर इतना ध्यान नहीं दिया होता यदि ऐसा नहीं हुआ होता, लेकिन यहाँ प्रमाण हैं, यहाँ वे लोग हैं, ईसाई मिशनरियाँ, जो उनकी मदद करते हैं, और वे जानते हैं कि ईसाइयों के साथ क्या हुआ है और वे यह भी जानते हैं कि दूसरों के साथ क्या हुआ है. उनकी संख्या 75,000 या उससे अधिक है. सांप्रदायिक घटनाओं के दौरान कितने लोग मारे गये, इसका कोई सटीक आँकड़ा नहीं है. हम इसको सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं. पाकिस्तान एक मामूली आँकड़ा देता है, जो हास्यास्पद रूप से छोटा है. अन्य स्रोतों, निष्पक्ष स्रोतों के माध्यम से हम कई बार यह आँकड़ा जान पाते हैं लेकिन वह भी अधूरा होता है, लेकिन कम से कम इसके परिणाम या प्रभावों या नतीजों की कुछ जानकारी होती है, जो किसी भी तरह छिपे नहीं रह सकते हैं. यह वे लोग हैं जो भारत में आते हैं और उनकी संख्या उस तनाव का संकेत है जिसके तहत लोग वहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तथा पीड़ित हैं."

श्री नंदा ने आगे कहा, "एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि हमारे पास एक खुला दरवाजा होना चाहिए और हर किसी को अंदर आने देना चाहिए. एक और विचार व्यक्त किया गया कि यह हमारे लिए समस्या पैदा करेगा, यहाँ बड़ी संख्या वाली आबादी में लोगों को घुसाया जाना–जहाँ हमारे पास बेरोजगारी और अन्य तरह की समस्याएँ मिली हैं, और जहाँ खेती योग्य भूमि दुर्लभ है – स्वाभाविक रूप से इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए यह परेशानी और जटिलताएँ पैदा करेगा. हमें इसको समझना होगा. इसलिए, अब निष्कर्ष क्या है? यदि यह कहा जाता है कि, इसलिए हमें उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए, यह वह रुख नहीं है जिसे हम बनाये रख सकते हैं. **अगर इस देश में उनके कूच, उनकी आमद को रोकने का कोई तरीका है, तो हमें इसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है, तो इन लोगों के लिए दरवाजा खुला रखना होगा.** और ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो उसे अपरिहार्य बना देती हैं. कष्ट उनके लिए और हमारे लिए होगा. जो लोग अपने घरों और चूल्हों से दूर, अपने बसे-बसाये जीवन को छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें यहाँ शिविरों में जीवन की अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ऐसा इसलिए नहीं कि उनके लिए अच्छा करने की इच्छा-शक्ति का अभाव है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें उचित भूमि देना और सामान्य पेशों में खपाने की उतनी क्षमता तुरंत हमारे अन्दर नहीं है. जिसे समझना और महसूस करना पड़ेगा. इसलिए, उनके लिए परेशानी और कठिनाई होगी और यह देखने के लिए उन्हें समायोजित कर लिया गया, उन्हें राहत दे दी गयी और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी गयी, हमें बड़ा काम करना होगा, बहुत अधिक प्रयास करना होगा. **इस स्थिति में, जिसके बारे में न केवल सम्मानित सदस्य ने बल्कि अन्य लोगों ने भी कहा, मैं कह सकता हूँ कि – इस मानवीय समस्या पर एक साथ गैर-दलीय मुद्दे के रूप में सोचा जाना चाहिए. अगर, अपना सर्वश्रेष्ठ देने के बाद कुछ चीजों से हर कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो इसे पार्टी का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए.** यह चीजों को और अधिक जटिल और कठिन बना देगा, इससे किसी की भी मदद नहीं होगी, लेकिन, जैसा कि मैंने कहा, हम अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं. एक तरफ, हम उन्हें रोक नहीं सकते, हमें उन्हें अंदर आने की अनुमति देनी पड़ेगी, लेकिन हमें यह भी एहसास है कि यहाँ कुछ माननीय सांसदों द्वारा दी गयी चेतावनी को ध्यान में रखना होगा कि जब आप प्रवास को उस सीमा तक उदार बनाते हैं, तो आपको देश के अंदर एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और मुझे यह तथ्य भी याद दिलाया जा रहा है कि जब इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, इनका लगभग शिकार किया जा रहा था, तब पाकिस्तान में कुछ लोगों – उनके कुछ नेता –जो जिम्मेदार लोग हैं, द्वारा कहा जा रहा था कि भारत अल्पसंख्यकों को अपने देश में बुलाने के लिए लुभा रहा था.

ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कहने के लिए हृदयहीन होना होगा, क्रूर होना होगा. हम दुविधा में पड़ गये हैं. हम 'नहीं' नहीं कह सकते हैं, और नहीं हम यह रुख अपना सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि उनका बस यहाँ रहना ही संभव

है तो उन्हें आने दो. प्रश्न केवल तभी उठेगा जब यहाँ रहना भी उनके लिए असंभव हो जाये. अब हमारा प्रयास हमेशा यह देखना है कि वे वहाँ सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने में सक्षम हों, और इसलिए, उस दिशा में अंततः हर संभव प्रयास करना होगा और उस संबंध में कई सुझाव दिये गये हैं और हमें यह विचार करना होगा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से हमारे सामने कौन-कौन से रास्ते खुले हैं. भाषणों से बार-बार एक सुझाव वैश्विक जनमत का उभरकर आया. यह निश्चित रूप से हमें करना चाहिए, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तथ्य कि इतने सारे ईसाई प्रभावित थे, इससे पाकिस्तान की स्थिति की गंभीरता को भांप लिया गया है. दो अन्य चीजें हैं. एक यह कि हम मजबूत बनें, यह देश की ताकत है जो उस बड़ी अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान बनेगी, जिसका यह एक अंकुर है, और यह फिर से यह ताकत ही होगी जो दूसरे पक्ष पर चिंतित अन्य लोगों के दिमाग पर एक स्वस्थ प्रभाव डालने जा रही है. हमें वह सब करना होगा और हमें उस उद्देश्य के लिए एकजुट होना चाहिए. और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हमारा संबंध है, हमारा व्यवहार, हमारी नीतियाँ, हमारे कार्य पूरी तरह से धिक्कार से ऊपर होने चाहिए.

मुझे बहुत खुशी है कि इस रवैये को इस सदन में और दूसरे सदन में भी मजबूत अभिव्यक्ति मिली है. पाकिस्तान जो कुछ भी करता है, औचित्य के पूरे अभाव के बावजूद करता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनका आधिकारिक वर्ग, उनके नेता, उनका प्रेस- सभी भड़काने में योगदान करते हैं और इसलिए वे परिणामों के लिए जिम्मेदार हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनके लोगों की बड़ी संख्या- पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों– को अवर्णनीय अत्याचार, दुःख-तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, पाकिस्तान करता है -अब, यह सब बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, किसी भी तरीके से नहीं, प्रताड़ित करने के लिए किसी बहाने से नहीं- जैसा कि माननीय सदस्य श्री भूपेश गुप्ता ने कहा- यहाँ मुसलमानों का एक भी बाल-बाँका नहीं होगा और मुझे लगता है कि हर कोई उस जज्बे, उस भावना को प्रतिध्वनित करेगा. इसलिए, हम इसके बारे में दृढ़ हैं, और उस दृढ़ता के साथ अगर हम इसे उद्देश्य के साथ, जोश के साथ, मिशन की भावना के साथ पूरा करते हैं, तो हम भी तत्काल तो नहीं, लेकिन कम से कम कुछ समय बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना सुनिश्चित करने में सहायता कर पायेंगे. हमें कुछ समय के लिए इस समस्या के साथ ही रहना पड़ सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस मामले में हमारा आचरण समय के साथ उनकी मदद करने वाला है. इसलिए, हमें बहुत मजबूत रुख अपनाना होगा.

श्री नंदा के उपरोक्त कथन में स्पष्ट कहा गया है कि (तत्कालीन) कांग्रेस नेतृत्व हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए सीमा के द्वार बंद करने के पक्ष में नहीं था. उन्होंने राज्यसभा में वादा किया कि'उन्हें उत्पीड़न के खिलाफ हैं.' एकमात्र प्रश्न अभी भी बना हुआ है – अब कहाँ गया वादा? कांग्रेस पीछे क्यों हटी?

4. तरुण गोगोई ने डॉ. मनमोहन सिंह को हिन्दू प्रवासियों की नागरिकता की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा:

मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने 20 अप्रैल, 2012 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें यह आग्रह किया गया था कि विभाजन के समय भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न के कारण पलायन करने वाले भारतीय नागरिकों को विदेशी नहीं माना जाना चाहिए. असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की कार्यकारी बैठक में, एपीसीसी अध्यक्ष अंजन दत्ता ने कहा,

"हम बंगाली हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नागरिकता के अनसुलझे मुद्दे को उठायेंगे, जो भारत में विभाजन के बाद अमानवीय यातना के शिकार होने के बाद असम आये थे.उन्होंने कहा कि ये लोग अविभाजित भारत के नागरिक थे और उन्हें धर्म के आधार पर अत्याचार के बाद अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किया गया था. एपीसीसी ने ऐतिहासिक वास्तविकता और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए केंद्र से ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने का आग्रह किया है."

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आश्वासन और संशोधन के पक्ष में माँग

1. सीपीआई सांसद स्वर्गीय श्री भूपेश गुप्ता का भाषण:

सीपीआई सांसद श्री भूपेश गुप्ता ने 4 मार्च 1964 को राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया –'पूर्वी पाकिस्तान में सांप्रदायिक घटनाओं से उत्पन्न स्थिति और उससे निकलने वाले परिणामों और उसके संबंध में भारत सरकार की नीतियों पर विचार किया जाये.'

उस दिन, गुप्ता ने उसी समय यह भी कहा कि, 'महोदय, हम चुप नहीं रह सकते क्योंकि हमारे सामने समस्याएँ हैं. हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं. हमने नेहरू-लियाकत संधि और अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं. हम इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, महोदय. हमें एक शांतिपूर्ण नीति के तहत उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा, ऐसा नीतिगत व्यवहार जो सम्मानजनक हो, एक ऐसी नीति जो सभ्य हो और जो मानवीय गरिमा की जरूरतों को पूरा करती हैं. ऐसी हमारी नीति होनी चाहिए. मुझे लगता है कि हमें इस मामले पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आंदोलित करना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दे के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ या ऐसे निहितार्थ हैं जो राज्य से परे हैं और हमारे पास विश्व जनमत, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की राय को आंदोलित करने के लिए यह संस्था है. मुझे लगता है कि हमें इस मामले में एक बहुत सक्रिय और प्रभावी कूटनीति की आवश्यकता है. ऐसा लगता है, महोदय, कि चूंकि हमने नेहरू-लियाकत संधि पर हस्ताक्षर किये थे, इसलिए हम किसी प्रकार की निद्रा में चले गये, शायद इसलिए कि बड़े दंगे नहीं हुए थे, लेकिन यह एक भूल थी. हमें हमेशा अल्पसंख्यकों का पक्ष उठाना चाहिए. महोदय, खासकर जब समझौते, जिसमें एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय शक्ति है, नेहरू-लियाकत संधि का पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, यह हमारा कर्तव्य था कि हम राजनयिक स्तर और अन्य माध्यमों से भी विश्व जनमत को इसपर सूचित करते. मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमने ऐसा नहीं किया. हो सकता है कि हम चीजों के अच्छे पक्ष होने के कारण किसी अच्छे इरादे या कुछ गलतफहमियों के कारण इसपर भूल कर बैठे हों, लेकिन जीवन ने दिखाया है कि हम इस मामले में असावधान थे और हमें इस मामले में थोड़ा अलग ढंग से काम करना चाहिए था.'

श्री गुप्ता ने 27 जुलाई, 1970 को राज्यसभा में भी कहा:

'मैं एक बार फिर सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों से अपील करूँगा. आइये ! हम कम से कम इस समस्या, शरणार्थी समस्या को भुनाने की कोशिश न करें. मैं यहाँ अपने मित्र से अपील करूँगा- वे अपने व्यापक ज्ञान और बुद्धिमत्ता के साथ इस विषय को सुलझाने के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण पेश करेंगे. मैं अपने मित्र श्री सुंदर सिंह भंडारी से भी अपील करूँगा- हम इसे राजनीति से दूर रखें. आखिर हम देश के इस हिस्से में रहने वाले इंसान हैं. यहाँ वे आ रहे हैं. आइये ! हम कुछ समय के लिए विशुद्ध रूप से अपने दलगत मतभेदों को भूल जायें. आइये ! हम इस समस्या को एक मनुष्य के रूप में, भाई से भाई के रूप में, बहन से बहन के रूप में एक मानवीय तरीके से देखें. **आखिरकार, जो लोग सीमापार कर रहे हैं, वे राजनीतिक उद्देश्यों के साथ नहीं आ रहे हैं, वे इस दल या उस दल का समर्थन या विरोध करने के उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं, वे डर और आशंकाओं के कारण यहाँ आ रहे हैं, वे यहाँ जीवन की तलाश में आ रहे हैं, ताकि उसकी बसावट और पुनर्वास हो सके. आइये! हम उनके साथ भाई-बहन की ओर से भाई-बहनों को स्वीकारने की भावना के साथ व्यवहार करें. इस तरह एक साझा राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टिकोण के साथ हम इस समस्या से सही तरीके से निपट सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं.'**

हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित सांसदों में से एक गुप्ता ने 3 दिसम्बर, 1974 को राज्यसभा में कहा -

'महोदय, देश के विभाजन के 27 साल हो गये हैं. यदि आप उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भाषणों को याद करें, जिसमें विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हैं, तो पता चलेगा कि उस समय कैसे उन्होंने अपने भाषणों में देश के विभाजन से पहले भी स्पष्ट आश्वासन दिया था कि वे विभाजन के परिणामों से पूरी तरह से निपटेंगे और वे विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान में चले गये बंगाल के उस हिस्से के विस्थापित व्यक्तियों की पुनर्व्यवस्था और पुनर्वास के लिए सरकार के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में सब कुछ करेंगे. यह एक गंभीर आश्वासन था जो न केवल सबके समक्ष है या प्रेस बयानों में है, बल्कि भारत सरकार के कई आधिकारिक बयानों में भी दोहराया गया था. यदि मुझे याद है, उस समय अल्पकालीन संसद में भी यह मामला सामने आया था और वही आश्वासन दोहराये गये थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज 27 साल बाद जहाँ पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक बड़ी समस्या, अपने स्वयं के प्रभुत्व का अधिकार और अपने देश के अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार का दावा करने की समस्या, का समाधान किया है, वहीं हम भारत में कई वर्षों के बाद भी पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्या को पाते हैं क्योंकि यह काफी हद तक अनसुलझा है. महोदय, सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह राष्ट्र को स्पष्टीकरण दे कि आश्वासनों को क्यों तोड़ा गया और वे कैसे टूट गये और इसके लिए कौन जिम्मेदार थे. न केवल अनकही मानव पीड़ा, कठिनाई और तबाही की समस्या को हल करने के लिए, बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से भारत के उस हिस्से जहाँ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने शरणार्थियों के रूप में, उचित तरीके से आश्रय दिये बिना शरण ली है, की अर्थव्यवस्था के लिए भी संसद को देर से सही, इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए.'

'अत्यधिक धर्मनिरपेक्ष'नेता गुप्ता ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की समस्याओं को भी स्वीकार किया. हमारे कम्युनिस्ट नेता इन ऐतिहासिक तथ्यों को कैसे भूल गये हैं? अब सवाल उठता है कि वादे क्या हैं? वादे किसने और किसको दिये?

2. 1958 में अमृतसर में सीपीआई द्वारा अंगीकृत संकल्प:

"भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महत्वपूर्ण सम्मेलन ने उन सख्त दमनकारी उपायों पर गंभीर चिंता जतायी जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास की जायज मांगों को दबाने और सरकार की जनविरोधी पुनर्वास नीति के अधीन शरणार्थियों को भयभीत किया जा रहा है. यह कार्रवाई अपने-आप में निंदनीय है. पूर्वी बंगाल से आये 40 लाख विस्थापितों में से अधिकांश का पुनर्वास नहीं हुआ है और इन दुर्भाग्यशाली पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की बेहिसाब यातना और पीड़ा दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है. उनकी स्थिति सभी के अंदर गहरी सहानुभूति उत्पन्न कर सकती है और उनकी समस्या मानवीय होने के साथ-साथ राष्ट्रीय भी है.

फिर भी ये शरणार्थी अक्सर सरकार के हाथों आँसू-गैस, लाठी चार्ज, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और कैद के शिकार हो रहे हैं. उनके संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उनकी मांगों को उठाने वाले कम्युनिस्टों और अन्य वामपंथी दलों के नेताओं को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है. उनमें से कई को पहले ही एहतियाती कैद अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया है. यह सम्मेलन इस दमन की निंदा करता है और पूरे देश से इसके विरोध में अपनी शक्तिशाली आवाज उठाने की अपील करता है.

शरणार्थियों की उचित मांगों के प्रति अपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए, सम्मेलन ने सरकार से पूर्वी बंगाल से विस्थापितों के प्रति अपना वर्तमान रवैया और नीति बदलने और उनकी उचित मांगों को स्वीकार करने का आह्वान किया. यह उन सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की मांग करता है जिन्हें शरणार्थियों के आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है.

'यह सम्मेलन सरकार से शरणार्थियों को स्वीकार कर और उनमें विश्वास जागृत करने के लिए एक सही पुनर्वास नीति

पर काम करने के उद्देश्य और पुनर्वास के अत्यावश्यक प्रश्न पर चर्चा करने के लिए शरणार्थियों के प्रतिनिधियों और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाने का अनुरोध करता है.'

क्या कम्युनिस्ट इन दिनों वही सहानुभूति महसूस करते हैं? यदि नहीं, तो क्यों? साठ के दशक और इन दिनों के शरणार्थियों के बीच क्या अंतर है? क्या वर्तमान शरणार्थी विस्थापित नहीं हैं? इसका मतलब है कि युद्ध या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ने को मजबूर व्यक्ति, एक शरणार्थी है.

3. माकपा नेता (बंगाल) श्री गौतम देब का वक्तव्य :

"1971 में इंदिरा-मुजीब संधि की निर्दिष्टि तिथि (Cut-off) के अनुसार तय किया गया था कि दोनों देशों में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होगा, लेकिन मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद यह संधि काम नहीं आयी. ऐसे कई उदाहरण हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक (हिंदू) धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं. सरकार को उन्हें आश्रय प्रदान करना होगा." द हिंदू समाचारपत्र ने 28 दिसम्बर, 2010 को 'जब प्रतिद्वंदियों ने साझा किया मंच' शीर्षक के तहत रिपोर्ट किया कि श्री देब ने सभा को एक "ऐतिहासिक कार्यक्रम" बताया और कहा कि इससे सभी राजनीतिक दलों को सबक सीखना चाहिए कि लोगों की सेवा करने में संकीर्ण राजनीतिक विभाजन नहीं आनी चाहिए.

श्री देब ने कहा कि 'आज हम सरकार में हैं और कल कोई और होगा. इसलिए हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है. हम सभी को राजनीतिक मतभेद के बावजूद देश के विकास की दिशा में काम करना चाहिए.' डब्लूबीपीसीसी के अध्यक्ष मानस भुनिया और राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेता तथागत रॉय उनसे सहमत थे. मतुआ समुदाय में मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग शामिल हैं जिन्होंने विभाजन के बाद और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत में शरण ली थी. एक रैली में सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने की मांग उठायी गयी थी जिसका समर्थन सभी उपस्थित दलों ने किया. क्या माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य और पार्टी की पश्चिम बंगाल राज्य समिति के सचिवालय सदस्य गौतम देब ने तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत का उल्लंघन किया है? नागरिकता विधेयक 2019 का विरोध करके, कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं ने खुद को राष्ट्र के प्रति जवाबदेह बना दिया है.

4. संसद में माकपा सांसदों की मांग:

25 अप्रैल, 2012 को लोकसभा में श्री बासुदेव आचरिया-

सभापति महोदय, मैं उन लाखों लोगों से संबंधित एक मुद्दा उठा रहा हूँ, जो अल्पसंख्यक के रूप में उत्पीड़न के कारण पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश में शरणार्थी बनकर आये थे.

ये शरणार्थी देश के विभिन्न हिस्सों, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे विभिन्न राज्यों में बसे हैं और रह रहे हैं. वे सालों से इन राज्यों में एक साथ रह रहे हैं. कई वर्षों तक यहाँ रहने के बावजूद, इन शरणार्थियों को हमारे देश में नागरिकता नहीं दी गयी है.

महोदय, किसी कमतर व्यक्ति की ओर से नहीं, बल्कि स्वयं प्रधानमंत्री की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में विचार किया जायेगा, लेकिन आजतक केंद्र सरकार ने लाखों बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने पर विचार नहीं किया है.

महोदय, जब 2003 में इस सदन के समक्ष नागरिकता अधिनियम लाया गया, तो एक संशोधन पेश किया गया और उस संशोधन को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था. इस सदन के राजनीतिक दलों के समर्थन के बावजूद, सरकार ने

इन असहाय लोगों को नागरिकता देने के संशोधन को स्वीकार नहीं किया. इसके परिणामस्वरूप, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में नामशूद्र रहते हैं. उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन उन्हें उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है. मैंने पहले ही इस संबंध में एक निजी विधेयक पेश कर दिया है. ... (व्यवधान)

अध्यक्ष: वह दूसरा मुद्दा है. कृपया शरणार्थियों के बारे में बोलें!

बॉसुदेव ने आगे कहा... महोदय, यह शरणार्थियों से संबंधित वही मुद्दा है. वे उन नामशूद्रों से संबंधित हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है. यद्यपि उत्तरप्रदेश सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सिफारिश की थी, जिसपर विचार नहीं किया गया है और जब इन लोगों को पहचान के अन्य माध्यमों से भी अलग रखा जा रहा है, तो समस्या बढ़ गयी है. अब, देश में अनिश्चितता व्याप्त है.

मेरी मांग है कि नागरिकता अधिनियम में उचित संशोधन किया जाना चाहिए. इंदिरा-मुजीब समझौते से पहले ही पूर्ववर्ती पाकिस्तान से पलायन कर चुके बंगाली शरणार्थियों को मान्यता और नागरिकता देने के लिए अधिनियम के क्लॉज़ 2 की सब-सेक्शन 1 (बी) में संशोधन किया जाना चाहिए. नागरिकता के अधिकार के बिना वे वर्षों से देश में रह रहे हैं. इस अनिश्चितता को समाप्त किया जाना चाहिए. लाखों बंगाली शरणार्थियों के उत्पीड़न को समाप्त किया जाना चाहिए.

मेरी मांग है कि इन बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए.

अध्यक्ष: श्री पी.एल. पुनिया और श्री खगेन दास को श्री बी. आचारिया द्वारा उठाये गये मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है.

मैं यहां दो माकपा सांसदों की मांग रखता हूँ जिन्होंने बंगाली शरणार्थियों के नागरिकता के अधिकार का समर्थन किया है.

सांसद श्री श्यामल चक्रवर्ती और माकपा के राज्यसभा सांसद श्री प्रशांत चटर्जी ने 27 अप्रैल, 2012 को विशेष उल्लेख के माध्यम से इस मुद्दे को निम्न रूप में उठाया: -

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब 18 दिसम्बर, 2003 को तत्कालीन गृहमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2003 सदन के पटल पर रखा गया, तब विपक्ष के तत्कालीन नेता डॉ. मनमोहन सिंह ने बांग्लादेश से आये शरणार्थियों को नागरिकता दिये जाने संबंधी प्रस्तावित अधिनियम में एक विशेष प्रावधान के लिए अपील की थी, और माननीय गृहमंत्री उस पर सहमत हुए, लेकिन दुर्भाग्य से क्लॉज़ में कोई सकारात्मक संशोधन नहीं हुआ.

इसलिए, भारत के माननीय प्रधानमंत्री से मेरी अपील है कि वे उन शरणार्थियों के पक्ष में नागरिकता अधिनियम, 1955 में एक विशेष क्लॉज़ बनाने का मार्ग प्रशस्त करने और उसपर सर्वसम्मति बनाने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं ताकि शरणार्थियों को नागरिकता और उचित पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके.

'श्री प्रशांत चटर्जी (पश्चिम बंगाल): श्रीमान उपाध्यक्ष, मैं अपने सहयोगी द्वारा किये गये विशेष उल्लेख के साथ खुद को भी जोड़ता हूँ.'

आईएमडीटी विधेयक का विरोध करते हुए राज्यसभा में 30 मार्च, 1988 को माकपा नेता सुकोमल सेन ने बांग्लादेश से आये शरणार्थियों की दुर्दशा का वर्णन किया– महोदय, मैं उस तरीके का बहुत दृढ़ता से विरोध करता हूँ, जिस तरीके से सरकार की ओर से अवैध प्रवासी (ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित) संशोधन विधेयक, 1988 पर रवैया रहा है. महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और सरकार देश के विभाजन के शिकार लाखों बदनसीब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहती है. अब आप इस विधेयक को एक घंटे में पारित करने जा रहे हैं और आप इसे घंटों की चर्चा कह रहे हैं .... खैर,

मैं इस विधेयक के प्रत्येक वाक्य का कठोरता से विरोध करता हूँ. मुझे पता है कि विपक्ष में हमारे कई सहयोगियों के साथ और विशेष रूप से एजीपी (AGP) के मेरे मित्रों के साथ मेरे मतभेद हो सकते हैं. सिद्धांतों को लेकर मेरा कोई व्यक्तिगत मतभेद या कोई व्यक्तिगत भिन्नता नहीं है.

महोदय, जब 15 अगस्त, 1985 को इस असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, तो हमारी पार्टी की ओर से हम इस समझौते के बारे में बहुत आलोचनात्मक थे और हमने इस समझौते के अंतिम परिणामों के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की. अब, इन 21 वर्षों के अनुभवों ने हमारे रुख को दृढ़ता से साबित किया है. यदि हम विभाजन के दिनों में वापस जायें, हालांकि समय बहुत कम होने के कारण विभाजन के दिनों पर चर्चा संभव नहीं है, **लेकिन मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब देश का विभाजन हुआ था, उस समय इस विभाजन के कारण पीड़ित लोगों से कुछ राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ की गयी थीं. ये प्रतिबद्धताएँ किसी कमतर व्यक्ति ने नहीं, बल्कि महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे लोगों द्वारा जतायी गयी थीं. उन्होंने विभाजन के कारण प्रताड़ित लोगों को यह कहते हुए सुरक्षा और रक्षा की गारंटी दी कि यदि आपको उपमहाद्वीप के इस ओर आने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपको सुरक्षा दी जायेगी, आपको आश्रय दिया जायेगा और आपको भोजन दिया जायेगा, आपको नागरिकता दी जायेगी.** ये सभी आश्वासन महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल तक ने दिये थे.

उस समय असम का प्रवासन नागरिकता अधिनियम, 1956 था, 1983 में प्रवासन विधेयक था. उसके बाद असम समझौता आया. अब, हम अवैध प्रवासियों पर यह संशोधन विधेयक ला रहे हैं. फिर, आप कहते हैं कि यह असम समझौते के क्लॉज़ 5.9 के अनुसार है.

महोदय, मैं बस ये कहूँगा कि देश के विभाजन के समय महात्मा गांधी ने क्या कहा था. मैं केवल कुछ वाक्य दोहराना चाहूँगा. उन्होंने कहा: "मेरे दोस्त पूछते हैं कि क्या वे लोग जो डरे हुए हैं या पाकिस्तान छोड़ते हैं, उन्हें भारतीय संघ में शरण मिलेगी." इस बिंदु पर मेरी राय सशक्त है. ऐसे शरणार्थियों को उचित आश्रय मिलना चाहिए और दूसरी ओर भी ऐसा ही होना चाहिए."

मैं और बोल सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ रुकता हूँ.

अब, श्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? उन्होंने जो कहा मैं उसे दोहराता हूँ : "हम राजनीतिक सीमाओं के कारण अलग हो गये और इस स्वतंत्रता में जो भाई-बहन अपने दुःख को साझा नहीं कर पा रहे हैं हम उनके बारे में भी सोचते हैं. वे हममें से हैं और जो कुछ भी हो, हममें ही बने रहेंगे, और हम उनके अच्छे और बुरे में उनके साझीदार बने रहेंगे."

महोदय, उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल ने जो कहा, मैं उसे भी उद्धृत करता हूँ : "सीमापार हमारे भाई यह न सोचें कि वे उपेक्षित हैं या भुला दिये गये हैं. उनके कल्याण के लिए हम सतर्क रहेंगे और हम उनके भविष्य के स्थायी हित का अनुसरण करेंगे..." महोदय, ये सभी संदेश थे. ये हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जतायी गयी प्रतिबद्धताएँ थीं और मैं इन्हें राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के रूप में मानता हूँ. मैं नहीं जानता कि कांग्रेस की परंपराओं की विरासत का दावा करने वाली कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी इन प्रतिबद्धताओं के लिए खड़ी होंगी या नहीं. उनमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा जतायी गयी इन प्रतिबद्धताओं के प्रति सम्मान है या नहीं. मुझे नहीं पता और मुझे आशंका है कि वे इन प्रतिबद्धताओं के साथ खड़े नहीं होते क्योंकि, न केवल उन नेताओं ने यह 1950 में कहा था, बल्कि यह अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 में क्लॉज़ 24 में भी कहा गया था. हालांकि, जहाँ तक 'पाकिस्तान से आये अप्रवासियों का संबंध था, उक्त अधिनियम की धारा 2 में एक शर्त को निम्नलिखित रूप में शामिल किया गया था:

"बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो नागरिक अशांति या अब पाकिस्तान का हिस्सा बन गये किसी भी क्षेत्र में अशांति की आशंका के कारण विस्थापित होकर या ऐसे क्षेत्र में अपना स्थान या निवास छोड़कर असम में रह रहा है." इसका मतलब है कि सांप्रदायिक हिंसा या अशांति के कारण, अगर उन्हें अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, तो अवैध अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 की यह धारा उन पर लागू नहीं होगी. महोदय, ये 1947-48 में हमारे राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं का अनुसरण था. 1950 के अधिनियम में वह प्रतिबद्धता है, लेकिन, महोदय, 1983 में, जब यह असम आंदोलन शुरू हुआ, तो हमने यह विधेयक अवैध अप्रवासी अधिनियम पारित किया. यह 1983 में असम में चले आंदोलन के दबाव में पारित किया गया था. (व्यवधान). उस पृष्ठभूमि में आप इस विधेयक को लाये और इसे पारित करवाया और यह 1950 के अधिनियम से भिन्न था. वह अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम था. यह उस अधिनियम से भिन्न था और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह उस समय असम में चल रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में किया गया था.

अंतिम परन्तु, न्यूनतम नहीं, नागरिकता संशोधन- विधेयक 2016 इन व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्रदान करने के मद्देनजर प्रस्तुत किया गया है. अजीब यह है कि हमें इस संदर्भ में अब तक पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का एक भी शब्द सुनने को नहीं मिला. भारत ने हमेशा धर्म और सत्य में पूर्ण विश्वास किया है और इस आध्यात्मिक मजबूती ने हमेशा अधर्मी व कपटी ताकतों को नाकाम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्तमान नेतृत्व को तीव्र एवं कड़े कदम उठाकर लंबे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान करना होगा, यह समस्या हमारे अस्तित्व, जीवन आधार और विकास पर एक धब्बे के अलावा और कुछ नहीं है.

5. बंगाली शरणार्थियों पर श्री प्रकाश करात का पत्र:

माकपा महासचिव श्री प्रकाश करात ने बंगाली शरणार्थियों की नागरिकता संबंधी समस्याओं के बारे में 22 मई, 2012 को प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा था. पूरा पत्र का पूरा गहन निरीक्षण के लिए संलग्न किया गया है.

"यह पूर्ववर्ती पूर्वी बंगाल से और फिर बांग्लादेश के गठन के बाद भी जिन्हें विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में अपने देश से भागना पड़ा था, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था, ऐसे शरणार्थियों की बड़ी संख्या है और उनकी नागरिकता संबंधी समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. उनकी स्थिति उन लोगों से अलग है जो आर्थिक कारणों से भारत आये हैं. जहाँ हम सभी वर्गों के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण की पैरवी करते हैं, नागरिकता के मुद्दे पर हम उस राय को साझा करते हैं जिसकी पैरवी आपने 2003 में संसद में इस पर बहस के दौरान विपक्ष के नेता के रूप में पुरजोर तरीके से की थी.

आपको याद होगा कि एनडीए सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन विधेयक, 2003 लाया गया था, जो विधेयक से प्रभावित होने वाले विभिन्न वर्गों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करता था. उस समय आपने कहा था '**... हमारे देश के विभाजन के बाद शरणार्थियों से बर्ताव के संबंध में, बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न का सामना किया है और यह हमारा नैतिक दायित्व है कि अगर हालात इन बदनसीब लोगों को हमारे देश में शरण लेने के लिए विवश कर देते हैं, तो इन लोगों को नागरिकता देने का दृष्टिकोण अधिक उदार होना चाहिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उप-प्रधानमंत्री भविष्य में इस संबंध में कदम उठाते हुए इन बातों को ध्यान में रखेंगे.**"

आपकी अपील के जवाब में, तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था "विपक्ष के नेता ने जो कहा है, मैं उनके व्यक्त किये गये विचारों के साथ पूरी तरह से सहमत हूँ..." बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों के संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के क्लॉज़ 2(i) (बी) में एक उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए था. हालांकि, सदन के पटल पर आम सहमति के बावजूद ऐसा नहीं किया गया. करीब एक दशक से यह मामला लंबित है. इस

बीच, शरणार्थियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गयी है क्योंकि आधार की वर्तमान प्रक्रिया से उन्हें बाहर रखा गया है और अवैध प्रवासी मानकर उन्हें देश से निकाले जाने के खतरे का सामना करना पड़ रहा है. लाखों परिवार प्रभावित हैं, उनमें से अधिकांश नामशूद्र, पूंडरा क्षत्रिय, माझी आदि जैसे अनुसूचित जाति समुदायों से हैं.

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस मुद्दे पर विचार करें और पूरे भारत में रह रहे इन बदनसीब परिवारों को राहत देने के लिए संदर्भित कानून में संशोधन समेत उन कदमों को उठायें, जिन्हें आप आवश्यक मानते हैं."

6. 4-9 अप्रैल, 2012 को माकपा की कोझिकोड में संपन्न हुई 20वीं कांग्रेस में अपनाया गया: बंगाली शरणार्थियों के अधिकारों के लिए

माकपा की महासभा केंद्र सरकार से बड़ी संख्या में बंगाली शरणार्थियों को भारत के नागरिकों के रूप में मान्यता देने की वैध मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का सम्मान करने का आह्वान करती है. वे अपने देश पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश से पलायन कर गये थे. इन शरणार्थियों में बड़ी संख्या में लोग अनुसूचित जाति, मुख्य रूप से नामशूद्र समुदाय के हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं.

पार्टी मानती है कि इन समुदायों की बढ़ती असुरक्षा, नागरिक पहचान के वर्तमान आधार प्रक्रिया में उनके बहिष्कार के कारण है, जो उन्हें और भी कमजोर करती है.

नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2003 पर संसद में चर्चा के समय, सभी राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक परिस्थितियों से ग्रसित इन नागरिकों की रक्षा के लिए एक संशोधन का समर्थन किया था. फिर भी इतने वर्षों के बाद भी कानून उन्हें अवैध प्रवासी मानता है. ऐसे मामले हैं जहाँ उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया है.

पार्टी की यह महासभा बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के शरणार्थियों के संबंध में उक्त नागरिकता अधिनियम के क्लॉज़ 2 (i) (बी) में एक उपयुक्त संशोधन की मांग करती है. यह असम में विशिष्ट स्थिति के लिए प्रासंगिक असम समझौते की रक्षा करते हुए किया जाना चाहिए. पार्टी मांग करती है कि केंद्र सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में ऐसा संशोधन लाये. यह महासभा इन समुदायों को उनकी वास्तविक मांगों के लिए संघर्ष में माकपा के समर्थन को आश्वस्त करती है.

माकपा ने अपना रुख क्यों बदल दिया है? अगर माकपा निर्दिष्टि तिथि (कट-ऑफ़) यानी 25 मार्च, 1971 की पक्षधर है, तो हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता कैसे दी जा सकती है? अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाने और उन्हें निष्कासित करने के लिए यह निर्दिष्टि तिथि न केवल असम में, बल्कि पूरे भारत में लागू है. कोई भी व्यक्ति पटना (पटना उच्च न्यायालय मलिक अस्सुर अली बनाम राज्य, 1 मार्च, 2012, सिविल सूट ज्यूडिक्शन केस संख्या 3218, वर्ष 1990), गुजरात (गुजरात उच्च न्यायालय राजेश बनाम राज्य, 22 अप्रैल, 2011, स्पेशल सिविल अप्लीकेशन संख्या 497, वर्ष 2010) और मेघालय उच्च न्यायालय (श्री नित्यानंद मलिक और अन्य बनाम मेघालय राज्य एवं अन्य, 15 मई 2014, डब्लूपी (सी) संख्या 235, वर्ष 2010) के फैसले को देखे तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि उक्त निर्दिष्टि तिथि (कट-ऑफ़) सभी राज्यों में लागू है.

7. माकपा के एक वरिष्ठ नेता जितेंद्र चौधरी का भाषण:

'बंगाली हिंदू खुशी से त्रिपुरा में प्रवासी नहीं बने हैं. वे विभाजन की कार्रवाई के शिकार थे. उन्हें प्रवास के लिए मजबूर किया गया है.' यह माकपा सांसद (त्रिपुरा पूर्व) जितेंद्र चौधरी के भाषण का एक हिस्सा है. मेघालय के सांसद विंसेंट पाला द्वारा 24 मार्च, 2017 को लोकसभा में पेश एक निजी सदस्य विधेयक - संविधान (संशोधन) विधेयक, 2015 की छठी अनुसूची पर चर्चा के दौरान उन्होंने यह कहा. मार्क्सवादी सांसद जितेंद्र ने निचले सदन में भी कहा, 'भारत के विभाजन के बाद-हिंदुस्तान और पाकिस्तान – में उत्पन्न स्थितियाँ हजारों बंगाली भाषी हिंदू लोगों को पूर्वी पाकिस्तान से पलायन करने के लिए विवश कर

रही थीं.' 'क्या इसपर हमें कहना चाहिए कि श्री चौधरी ने अपनी 'कम्युनिस्ट-धर्मनिरपेक्ष' पहचान खो दी?

8. प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक डॉ. हिरेन गोहेन के विचार:

विभाजन ने शरणार्थियों की समस्या को भी नींद से जगा दिया. बंगाली हिंदू शरणार्थियों की विशाल संख्या को या तो जबरन भगा दिया गया या अपमान और आतंक के जरिये भागने के लिए विवश किया गया. उनमें से अधिकांश बंगाल में प्रवेश कर गये, लेकिन उनमें से कई लाख असम में भी आ गये, जहाँ जलवायु और पर्यावरण भिन्न नहीं थे. विपक्षी दलों को छोड़कर कोई भी उनके बारे में विशेष रूप से चिंतित नहीं था. पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की तरह ही भारत सरकार ने इनकी उपेक्षा की. न ही असम जैसे राज्यों में उन्हें शरण देने के पक्ष में उपयुक्त जनमत माहौल बनाने का कोई अभियान चलाया गया. असम में कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें अन्दर करने के लिए तस्करी जैसा कायरना विकल्प चुना, जिससे स्थानीय असमिया केंद्र सरकार का विरोध नहीं करते थे. इस तरह, शरणार्थियों को बसाने की नीति का कोई वास्तविक और गंभीर विचार नहीं था. क्या उन्हें अपनी पहचान बनाये रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और इस तरह राज्य की खराब राष्ट्रीय समस्या को बढ़ाया जाना चाहिए? या फिर उन्हें स्वयं को मुख्यधारा के समुदाय में विलय करने के लिए राजी किया जाना चाहिए? कस्बों और अधिक उन्नत गाँवों में बंगालियों का विरोध होने से अशांति होने लगी जो बंगाली व्यापारी और दुकानदारों को प्रभावित करती थी. दूसरी ओर, कुछ शरणार्थी तत्वों ने कोलोनियल काल के उग्र बंगाली राष्ट्रीयता से प्रेरित लोगों के साथ आकर बंगालियों के राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा के लिए एक दबाव समूह का निर्माण किया.

मैं यहाँ श्रीमती मौसमी दत्ता पाठक की 'यू डू नॉट बिलॉन्ग हियर : पार्टीशन डायस्पोरा इन द ब्रह्मपुत्र वैली' से कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करता हूँ - हिरेन गोहेन ने मानवीय कानूनों और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में लोगों के इस समूह के प्रति स्थायी सम्मान के साथ कहा कि 'भारत के संविधान की शपथ लेने वाले लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के विरासतदार के रूप में हम पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों के जीवन और हितों की रक्षा के लिए कर्तव्य-बद्ध हैं.... उनमें यदि रत्तीभर भी शालीनता बची हुई है तो उन्हें वास्तव में उन लोगों के बारे में गहराई से चिंतित होना चाहिए.'

अस्सी के दशक में गोहेन ने जो कहा था, उसे कम्युनिस्टों द्वारा गंभीरता से लिया गया था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोहेन भी अब नागरिकता विधेयक के खिलाफ अभियान चला रहे हैं.

9. कम्युनिस्टों की बड़ी भूल:

कम्युनिस्ट पार्टी ने सांप्रदायिक हिंसा के शिकार पीड़ितों के अस्तित्व को स्वीकार करने से सीधे इनकार कर दिया. विभाजन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मुख्य भूल, यह निर्णय था कि दोनों गणराज्यों के लिए एक पार्टी होगी. स्वाभाविक रूप से पार्टी ने अपने पाकिस्तानी कॉमरेडों को भारत में पलायन न करने का निर्देश दिया. इसने चेतावनी दी कि यदि किसी कॉमरेड ने पार्टी के आदेश का उल्लंघन किया तो उसे पार्टी से निकाल दिया जायेगा. पाकिस्तान में एक मजबूत संगठनात्मक तंत्र स्थापित करने के लिए भारत के अनुभवी पार्टी सदस्यों को भेजने का निर्णय भी लिया गया. तदनुसार, सज्जाद ज़हीर को पश्चिमी पाकिस्तान, और कृष्णबिनोद रॉय और मंसूर हबीबुल्लाह को पूर्वी पाकिस्तान भेजा गया. अनुभवी कम्युनिस्ट नेता, अब्दुर रज़्ज़ाक खान ने मंसूर हबीबुल्लाह के पश्चिम बंगाल का होने और पूर्वी बंगाल की बोली अच्छी तरह नहीं आने के कारण उन्हें पूर्वी पाकिस्तान भेजे जाने पर आपत्ति जतायी. इन तीन कम्युनिस्टों को पाकिस्तान पहुँचने के एक महीने के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था. पूर्वी पाकिस्तान के अन्य मुख्य कम्युनिस्टों को जेल भेज दिया गया. पार्टी के आदेश की अवहेलना कर पश्चिम बंगाल आने वाले पार्टी के कई जाने-माने सदस्यों को तुरंत निष्कासित कर दिया गया. अन्य प्रवासी सदस्यों, जो कम ज्ञात थे, ने अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया. यहां तक कि सज्जाद ज़हीर, कृष्णबिनोद रॉय और मंसूर हबीबुल्लाह को पाकिस्तान की जेल से रिहा होने के बाद भारत वापस आने पर पार्टी से निकाल दिया गया था.

पार्टी ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कांग्रेस की तरह, विभाजन के अक्षम्य मुद्दे के तर्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी. भारत पर शासन के अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं होने के कारण कांग्रेस ने कड़वी गोली को निगल लिया. साम्यवादियों ने विद्वेषपूर्ण सांप्रदायिक समस्या, जो उन्हें जनता के बीच, विशेष रूप से मुसलमानों के बीच साम्यवाद के प्रसार को रोकने में सबसे बड़े एकल कारक के रूप में दिखाई दिया, को ख़त्म करने के एकमात्र तरीके के रूप में विभाजन को स्वीकार किया. पार्टी ने महसूस किया कि विभाजन की प्रक्रिया के एक बार कार्यान्वित होने के बाद, सांप्रदायिक वायरस पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पटल से मिट जायेगा.

पार्टी ने अपने पाकिस्तानी कैडरों को भारत में पलायन न करने का निर्देश दिया. जहाँ तक पश्चिम पाकिस्तान का संबंध था, निर्देश का मतलब बहुत मामूली या कुछ भी नहीं था. उस समय पश्चिम पाकिस्तान में केवल दो पार्टी सदस्य थे. विभाजन की पूर्व संध्या पर पूर्वी पाकिस्तान में लगभग एक हजार पार्टी सदस्य थे. दरअसल, यह कहा जा सकता है कि 1938 से पहले कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में शायद ही मौजूद थी. इसमें कोई शक नहीं कि गोपाल बसाक (ढाका) और धरणी गोस्वामी (मैम्मेन सिंह), गोपेन चक्रवर्ती (टिप्पर जिला) और मुजफ्फर अहमद (नोआखली जिला) जैसे कम्युनिस्ट मेरठ षड्यंत्र केस में शामिल थे, लेकिन पूर्वी बंगाल में बहुत कम लोग जानते थे कि वे कम्युनिस्ट थे. इसलिए यह कहा जा सकता है कि पूर्वी बंगाल में कम्युनिस्ट गतिविधि जेल में कम्युनिस्ट बने युगांतर और अनुशीलन समूहों के सदस्यों के रिहा होने के बाद शुरू हुई थी. उनमें से अधिकांश मध्यवर्गीय हिंदू थे.

आइये! श्री शचि जी. दस्तीदार की किताब 'मुक्ति: फ्री टू बी बॉर्न अगेन' के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं- कई सांप्रदायिक वामपंथी बांग्लादेशी हिंदू, बौद्ध और ईसाई अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों को यह चेतावनी देने के स्तर तक चले गये कि वे उत्पीड़न का मुद्दा न उठायें, यह उनके स्वयं के पाखंड और नस्लवाद को उजागर करता है. 2001 में, जब हिंदू-विरोधी गतिविधियाँ उग्र हो रही थीं, बांग्लादेशियों का एक समूह पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ माकपा के प्रमुख पार्टी सचिव बिमान बोस से मिलने गया था. भारत में रह रहे बांग्लादेशी हिंदू के रूप में बोस ने कहा, 'बांग्लादेशी हिंदुओं को तर्कहीन व्यवहार नहीं करना चाहिए (स्वयं को बचाने और अपनी हत्याओं का विरोध करने के लिए). सांप्रदायिक (हिंदू और धर्मनिरपेक्ष पढ़ें) ताकतों को इससे लाभान्वित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.' क्या नेताओं को निष्कासन और सामूहिक हत्या से लाभान्वित होने दिया जाना चाहिए?

निष्कर्ष

'सनातन संस्कृति' न केवल गंगा नदी के तट पर बल्कि पवित्र सिंधु नदी के तट पर भी विकसित हुई. सिंध और मुल्तान उस पवित्र भौगोलिक स्थान का हिस्सा थे, जिसने वेदों की उत्पत्ति को देखा, दुर्भाग्य से अदूरदर्शी राजनीति, मुस्लिम लीग के राजनीतिक ब्लैकमेल और धार्मिक आधार पर विभाजन से हमने 1947 में अपनी भूमि के उस हिस्से को खो दिया.

विभाजन न केवल आधुनिक भारत के इतिहास के, बल्कि पूरी मानवता की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक था. विभाजन के समय भारत के नेताओं ने वादा किया था कि हमारे जो भाई नव सृजित पाकिस्तान में छूट गये थे, उनका ख्याल रखा जायेगा और उन्हें सुरक्षा दी जायेगी, लेकिन जल्द ही "कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट रूप से सीमा के दूसरी तरफ के अल्पसंख्यकों के लिए विभाजन से पहले किये गये वादों को भुला दिया. उन्होंने अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया था कि अगर उन्होंने कभी सीमा पार करने का फैसला किया तो उन्हें शरण का स्वर्ग मिलेगा." (प्रफुल्ल चक्रवर्ती, सीमांत लोग : पश्चिम बंगाल में शरणार्थी और वाम राजनीतिक सिंड्रोम,1999) परंतु यह वादा जल्द ही भुला दिया गया और नजरअंदाज कर दिया गया. भारतीय जनसंघ और भाजपा ने 1952 से ही, इन भारत के सभ्यतागत हिस्से के इन बेजुबान लोगों को नागरिकता प्रदान करने का वादा किया है.

भारत की सांस्कृतिक संतानें, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के साथ स्वयं को जोड़ते रहते हैं और अपने देश में भारी दबाव के बीच रहते हैं और जिन्होंने आजादी के बाद के दशकों में अपने संबंधित देशों में उत्पीड़न का सामना किया है, को भारत की शरण लेने के हकदार हैं. भारतीय जनता पार्टी ने घोषणापत्र 2019 में नागरिकता विधेयक पारित करने का वादा किया था. वह इस वादे पर दशकों से कायम थी और कभी इसका त्याग नहीं किया. इस शीतकालीन सत्र (दिसम्बर 2019) में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के संकटग्रस्त अल्पसंख्यकों के लिए दशकों पहले किये गये अपने वादे को पूरा किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें भारत में सम्मान और अवसरपूर्ण जीवन जीने को मिले. नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को पारित करा कर, नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़े पैमाने पर उपेक्षित, उत्पीड़ित लोगों का उत्थान किया है, जो बीते वर्षों से हाशिये पर थे. जिन लोगों ने 1947 में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं से विश्वासघात किया था, जो ऐसा करने का वादा करने के बाद भी उनके साथ खड़े होने में विफल रहे थे, आज भी नागरिकता विधेयक के पारित होने का विरोध कर रहे हैं, सत्तर साल में उनकी इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के प्रति तिरस्कार और उपेक्षा खत्म नहीं हुई है. इन देशों के दबे-कुचले अल्पसंख्यक, जिन्हें अपना घर और चौका-चूल्हा छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लाखों लोग एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीते आये हैं, क्योंकि इतने वर्षों में भी इन्हें नागरिकता नहीं दी गयी है. यदि मुसलमानों को एक पूरा देश दिया जा सकता है, तो हिंदू और सिखों को भारतीय नागरिकता क्यों नहीं दी जा सकती, आखिरकार भारत पूरे विश्व में उनकी प्राकृतिक मातृभूमि है और ऐसे प्राकृतिक अधिकारों और भारत के नैतिक दायित्वों को नकारना स्वयं मानवता की चेतना और भावना के साथ घोर अन्याय होगा. वास्तव में जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है, यह एक स्वर्णिम विधान है, यह लाखों लोगों के लिए एक नयी शुरुआत, एक नयी सुबह, एक ताजी शुरुआत की घोषणा करता है. इस एक अधिनियम से नरेंद्र मोदी सरकार ने इतिहास की एक बड़ी गलती को सुधार दिया है, आधुनिक भारत के इतिहास में सर्वाधिक हृदय विदारक अध्याय को ख़त्म कर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को पूरा किया है.

नागरिकता संशोधन विधेयक पर पूछे जाने वाले प्रमुख प्रश्न

एक राज्य और उसके विषयों के बीच संबंध नागरिकता के विचार से निर्धारित होता है. नागरिकता का अधिकार मूल रूप से एक ऐसा अधिकार है जो अन्य अधिकारों को प्राप्त करने की सुविधा देता है. आजकल भारतीय नागरिकता हमारी सार्वजनिक चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया है. इस संशोधन का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इसाई और पारसी अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है, क्योंकि वे अपने धार्मिक कारणों से उत्पीड़न के शिकार हैं. इस संशोधन की संवैधानिकता पर सवाल उठाये गये हैं, जिसके तहत इसके मनमाना, भेदभावपूर्ण और भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष की भावना के खिलाफ होने का दावा किया जा रहा है. अब इन प्रश्नों का मूल्यांकन करने के लिए, संशोधन के खिलाफ प्रचारित किये जा रहे मिथक को स्पष्ट करने और इसकी वैधता और औचित्य का पता लगाने के लिए हम कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं-

1. भारत अपने नागरिकों को कैसे परिभाषित करता है और भारतीय नागरिकता के मानदंड की राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी पृष्ठभूमि क्या है?

- भारतीय नागरिकता के विचार को समझने के लिए हमें संविधान सभा में वापस जाना होगा. पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थियों जब आ रहे थे, उस समय भारतीय संविधान के निर्माताओं के लिए नागरिकता के प्रावधानों का मसौदा तैयार करना लगभग असंभव था. यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि हिंदुओं और सिखों के लिए उनकी प्राकृतिक मातृभूमि के रूप में नागरिकता की मांग को संविधान सभा में मुखर रूप से उठाया गया था, हालांकि इस पर पं.नेहरू द्वारा धर्मनिरपेक्षता के अपने विचार के कारण वीटो कर दिया गया था. दिलचस्प बात यह है कि डॉ. अंबेडकर ने नेहरू के सदन में आने से पहले ही इस मांग को खारिज कर दिया था.
- चूँकि उस समय की स्थिति नागरिकता प्रावधानों को अंतिम रूप देने के अनुकूल नहीं थी, भारतीय राज्य संविधान के भाग II के अनुच्छेद 11 पर आश्रित था जो विशेष रूप से संसद को भारतीय नागरिकता के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करने का अधिकार देता है. उस अध्यादेश के साथ, नागरिकता अधिनियम, 1955 ने मूर्त रूप लिया. इसलिए, यह कहना गलत है कि संसद को नागरिकता के मानदंडों में कोई बदलाव लाने का कोई अधिकार नहीं है और यह संविधान निर्माताओं के इरादों के विपरीत है. सच्चाई यह है कि संविधान सभा ने कभी भी नागरिकता के मानदंडों को अंतिम रूप नहीं दिया, बल्कि स्वयं संसद को संविधान द्वारा भारतीय नागरिकता के मानदंड पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार दिया गया है.

2. यह नागरिकता संशोधन विधेयक क्यों आवश्यक है?

भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान (इस्लाम बहुल राज्यों) में छूटे धार्मिक अल्पसंख्यकों को शुरू से ही धर्म के आधार पर लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. विभाजन के दौरान, हमारे देश ने इन अल्पसंख्यकों के लिए एक प्रतिबद्धता जतायी थी कि यदि उनके मूल देश नेहरू-लियाकत संधि के तहत दायित्व के अनुसार उन्हें सुरक्षा देने में विफल रहते हैं तो भारत उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करेगा. इसलिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन उत्पीड़ित वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए और उन्हें भारत में नागरिकता के अधिकार देने के लिए, जहाँ वे दशकों से अवैध प्रवासियों के रूप में रह रहे हैं, यह विधेयक आवश्यक था.

3. वर्तमान संशोधन क्या है? यह क्या करता है और इसके परिणाम क्या हैं?

1955 के अधिनियम द्वारा किसी भी भारतीय नागरिक को नागरिकता देने के लिए पाँच श्रेणियाँ हैं , जन्म, वंश, प्राकृतिककरण, पंजीकरण और भारत द्वारा किसी भी क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाना. नागरिकता अधिनियम में यह संशोधन मुख्य रूप से प्राकृतिककरण की प्रक्रिया द्वारा नागरिकता देने के लिए संशोधन का प्रस्ताव करता है-

- विधेयक का क्लॉज़ 2 नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करता है, जिसके परिणामस्वरूप अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से किसी भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति, जो 31 दिसम्बर, 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश करता है, और जिसे केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 के सब-सेक्शन (2) के क्लॉज़ (सी) के तहत या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के आवेदन से या उसके द्वारा बनाये गये किसी भी नियम या आदेश से छूट दी गयी है, को नागरिकता अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा.
- विधेयक का क्लॉज़ 3 नागरिकता अधिनियम, 1955 में एक नयी धारा 6 बी सम्मिलित करता है, यह विधेयक के क्लॉज़ 2 के तहत और धारा 6 बी (2) के तहत संरक्षित व्यक्तियों के लिए प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान करता है, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय क्षेत्र में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जायेगा.
- संशोधित अधिनियम की नयी धारा 6बी (4) में यह प्रावधान है कि विधेयक का उपर्युक्त क्लॉज़ 2 असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होगा क्योंकि ये संविधान की छठी अनुसूची में और बंगाल पूर्वी सीमांत नियमन, 1873 के तहत "द इनर लाइन" के तहत अधिसूचना में शामिल हैं.
- विधेयक का क्लॉज़ 6 अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करता है, जो अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्राकृतिककरण के लिए योग्यता प्रदान करता है. यह प्राकृतिककरण के जरिये नागरिकता के लिए नये सिरे से आवेदनों पर विचार करता है और वर्तमान मामला तीन मुस्लिम बहुल देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए है. यह प्रवाधान करता है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या इसाई समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए, इस क्लॉज़ के तहत भारत में निवास या भारत सरकार में सेवा की कुल अवधि "पाँच वर्ष से कम नहीं होगी"जो पहले"ग्यारह वर्ष से कम नहीं"थी.
- इसलिए, तीन इस्लामी देशों के वे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक अब अधिनियम की धारा 6बी के तहत नागरिकता के हकदार हैं, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है और उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा और उन्हें भारत में उनके प्रवेश की पूर्वव्यापी तिथि से नागरिकता प्राप्त होगी. हालाँकि, यदि उक्त व्यक्तियों का 31 दिसम्बर, 2014 के बाद भारत में प्रवेश हुआ, तो वे अधिनियम की तीसरी अनुसूची के साथ पढ़े जाने वाली अधिनियम की धारा 6 के तहत नागरिकता के लिए पात्र होंगे,जो उनके भारत में कम से कम 5 वर्षों के लिए उनके निवास का प्रावधान करता है, जो प्राकृतिकीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने से पूर्व अन्य देशों की तरह पहले 11 वर्ष था.

4. पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सटीक स्थिति क्या है, और क्या विभाजन के 70 साल बाद भी उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत पर कोई दायित्व है?

- हम सभी जानते हैं कि भारत के पहले कानून मंत्री डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एक दलित थे, लेकिन हममें से बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित थे. मंडल ने भी पाकिस्तान के गठन का खुलकर

समर्थन किया है और अनुसूचित जाति समुदायों को असम के सिलहट जिले में एक जनमत संग्रह के दौरान मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा था. वह नेहरू-लियाकत संधि के 6 महीने बाद ही पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे और 8 अक्टूबर, 1950 को उन्होंने पाकिस्तान की मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. उनका इस्तीफा पत्र पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों के खिलाफ बेहद भयावह हिंसा का लेखा-जोखा है. दुर्भाग्य से, मंडल को भारत वापस आना पड़ा और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में शरणार्थी के रूप में उनकी मृत्यु हुई. इसलिए, नेहरू-लियाकत समझौते का सम्मान करने में पाकिस्तान की विफलता के कारण, विभाजन के पीड़ितों को शरण देना भारतीय राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है.

5. क्या अधिनियम को कोई संवैधानिक चुनौती है और यदि है तो कैसे?

- अनुच्छेद 14 संविधान में निहित समानता के अधिकार का वर्णन करता है. इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सामान्य कानून सभी वर्गों के लोगों पर लागू होंगे. अनुच्छेद बुद्धिमत्तापूर्ण भिन्नता के आधार पर स्थापित समूहों या वर्गों के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है और इस तरह के वर्गीकरण का उस परिणाम के साथ एक उचित संबंध है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है. नागरिकता संशोधन विधेयक में वर्गीकरण दो कारकों पर आधारित है
- देशों का वर्गीकरण अर्थात अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाम शेष देश
- लोगों का वर्गीकरण यानी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई बनाम अन्य वर्गों के लोग

अब इस भिन्नता (वर्गीकरण) का आधार "उत्पीड़न"और "अल्पसंख्यक"है. चूँकि ये तीनों देश एक या दूसरे रूप में इस्लाम को अपना राज्य धर्म मानते हैं और धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, इससे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है. इसलिए उत्पीड़न और अल्पसंख्यक, दोनों ही अलग-अलग आधार हैं, और चूंकि सरकार इन उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना चाहती है, इसलिए उन्हें नागरिकता प्रदान करना, इस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध के रूप में कार्य करता है जिससे यह उचित वर्गीकरण की श्रेणी में आते हैं. किसी कानून के मनमाने होने और असंवैधानिक होने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा शायरा बानो मामले में पुनर्विचार मनमानेपन के सिद्धांत में "अनुचित, अतार्किक, भेदभावपूर्ण, अपारदर्शी, स्वच्छाचारी, पूर्वाग्रहग्रस्त, पक्षपातपूर्ण या भाई-भतीजावाद" का एक मानक है. यहाँ इस मामले में मनमानी बिल्कुल नहीं है क्योंकि उपरोक्त चर्चा के अनुसार एक उचित वर्गीकरण के लिए अल्पसंख्यक और उत्पीड़न का परिभाषित मापदंड मौजूद है. इसलिए, कानून उचित वर्गीकरण और गैर-मनमानी आचरण के दोनों परीक्षणों को पास करता है.

6. क्या यह विधेयक वास्तव में एक विशेष समुदाय के साथ भेदभाव कर रहा है, क्या यह वास्तव में मुस्लिम विरोधी है?

- धार्मिक अल्पसंख्यकों, जो अपने ही देशों में अपनी धार्मिक पहचान के कारण उत्पीड़न के शिकार हैं, के संरक्षण के लिए कोई भी कार्रवाई भारत की धर्मनिरपेक्षता में सेंध नहीं लगायेगा, जबकि दावा इसके विपरीत किया जा रहा है. यह हमारी धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखेगा और मजबूत करेगा जो धर्म की परवाह किये बगैर हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना चाहता है. इस विधेयक का मूल उद्देश्य इन तीन देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चित करना है. चूंकि वहाँ मुस्लिम न तो अल्पसंख्यक हैं और न ही इन देशों में धार्मिक कारणों से उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्हें स्पष्ट रूप से यहाँ शामिल नहीं किया गया है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय मुसलमानों, जो इसके नागरिक हैं, के साथ भेदभाव नहीं करता है,इसका उद्देश्य केवल उन अल्पसंख्यकों की रक्षा करना है जो अपने मूल देशों में अपने धार्मिक जुड़ाव के कारण उत्पीड़ित किये जाते हैं.

- किसी भी देश के किसी भी धर्म का कोई भी विदेशी नागरिक भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6 के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र है. सीएबी इन प्रावधानों को बिल्कुल भी नहीं बदलता है. यह केवल तीन देशों के छह अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासियों को पुष्ट प्राथमिकता प्रदान करता है, यदि वे दिये गये मानदंडों को पूरा करते हैं.
- दूसरा, यदि हम सभी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं तो देश का विभाजन, जिसमें हमने अपनी जमीन का एक तिहाई हिस्सा दिया है, निरर्थक हो जायेगा. इसलिए, एक बार क्षेत्र का एक हिस्सा पहले से ही विशेष रूप से धार्मिक आधार पर दिये जाने के बाद, पाकिस्तान या बांग्लादेश को अपनी मातृभूमि के रूप में चुनने वालों को फिर से नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है.

7. क्या यह पहली बार है कि इस तरह का वर्गीकरण किया गया है और ऐसे शरणार्थियों के लिए कोई कदम उठाया गया है?

- नहीं, यह पहली बार नहीं है कि ऐसी कोई कवायद हो रही है. इसके मूल में जाने के लिए हमें 1950 में जाना होगा जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और डॉ. अंबेडकर कानून मंत्री थे, कैबिनेट ने एक कानून पारित किया जिसे द इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 कहा गया. इस अधिनियम की दो विशेषताओं में शामिल था-

  1) उन सभी को निष्कासित करना जो असम में अवैध रूप से गलत उद्देश्यों के साथ प्रवेश करते थे

  2) इसमें से उन लोगों को अलग रखा गया था जो नागरिक अशांति के कारण भारत आये थे यानी व्यावहारिक रूप से दंगों के कारण जो हिंदू/सिख आये थे (उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी गयी थी).
- दूसरी बार 2003 में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने राजस्थान और गुजरात के कुछ सीमावर्ती जिलों को विशेष अधिकार दिये, ताकि वे पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों को नागरिकता देने के फैसले ले सकें. इसलिए, यह कहना अनुचित है कि यह पहली बार है कि ऐसा उपाय किया गया है. पाकिस्तान में विशेष रूप से जनरल जिया-उल-हक के कार्यकाल से उत्पीड़न और उसके बाद शरणार्थियों का पलायन आम घटना है जिनके लिए एक स्थायी समाधान की आवश्यकता थी, और इस विधेयक का उद्देश्य यही है.

8. क्या अपने गृह देशों में उत्पीड़ित लोगों को भारत आने पर खुद को शरणार्थी घोषित करने और विधेयक के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिए पाँच साल तक इंतजार करने की आवश्यकता है?

नहीं, यह विधेयक पूर्वव्यापी तारीख से नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात भारत में उनके प्रवेश की तारीख से और उन्हें खुद को शरणार्थी घोषित नहीं करना है. यदि उन्होंने 31 दिसम्बर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया गया है, तो संशोधित अधिनियम की धारा 6 बी के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 साल तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है. केवल उन उत्पीड़ित वर्ग को, जैसा कि विधेयक के क्लॉज़ 2 में प्रवाधान किया गया है, 31 दिसम्बर, 2014 के बाद भारत में अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा, जो पहले 11 वर्ष था.

9. उन लोगों के बारे में क्या स्थिति है जो 15 अगस्त 1947 से पहले पाकिस्तान या बांग्लादेश से भारत आये थे? क्या उन्हें भी नये संशोधन के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा?

नहीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार जो लोग 19 जुलाई, 1948 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें पहले से ही भारत का नागरिक माना जाता है. और जिन लोगों ने 19 जुलाई, 1948 के बाद और संविधान के प्रारंभ से पहले प्रवेश

किया है, उन्हें भी नागरिक माना जाता है, यदि वे संविधान के अनुच्छेद 6 (बी) (ii) के तहत भारत के नागरिक के रूप में पहले से ही पंजीकृत हैं. इस विधेयक का उन व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 से पहले भारत में प्रवेश किया था.

10. कैसे आकलन किया जायेगा कि इन देशों से उत्पीड़ित अल्पसंख्यक 31 दिसम्बर, 2014 से पहले प्रवेश कर चुके हैं?

इसे अधिनियम की धारा 6 बी के तहत आवश्यकता के अनुसार किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में यह बताया जा सकता है. इस तरह की आवश्यकता अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार है.

11. अधिनियम की धारा 6बी के तहत आवेदन करने के लिए निर्दिष्टि तिथि (कट-ऑफ़) 31 दिसम्बर, 2014 क्यों है?

5 वर्ष की सीलिंग अवधि के कारण, अधिनियम की तीसरी अनुसूची के अनुसार अधिनियम की धारा 6 के तहत आवेदन करना आवश्यक है. इस विशेष तिथि तक, ये उत्पीड़ित वर्ग अधिनियम की तीसरी अनुसूची के तहत मानदंडों को पूरा करते हैं यानी 5 साल का निवास, जो कि आवश्यक है, इसलिए यह निर्दिष्टि तिथि तय है.

12. संशोधित अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति धार्मिक उत्पीड़न का प्रमाण कैसे दे सकता है?

यह अधिनियम की धारा 6 या धारा 6 बी के तहत किये गये आवेदन में घोषणा के जरिये प्रारूप में दिया जा सकता है और इसके लिए धार्मिक उत्पीड़न के किसी विशिष्ट दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. आवेदक को केवल अधिनियम की अनुसूची III के तहत दिये गये मानदंडों को पूरा करना है.

13. क्या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पाने वाले लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के बाद और निर्णय के लंबित होने तक इस तरह के लाभ को त्यागना पड़ेगा?

नहीं, संशोधित अधिनियम की धारा 6 बी (3) के दूसरे प्रावधान के अनुसार वे ऐसे अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित नहीं होंगे.

14. पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों का क्या होगा, जहाँ यह संशोधन लागू नहीं है? इस संशोधन के तहत उन्हें कहाँ से लाभ मिल सकता है?

यह संशोधन असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र उनकी मूल और स्वदेशी संस्कृति के संरक्षण के लिए संविधान की छठी अनुसूची और पूर्वी बंगाल सीमा नियंत्रण अधिनियम (बेंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन), 1873 के तहत अधिसूचित "इनर लाइन" के तहत आने वाले क्षेत्र में शामिल हैं. हालांकि, इन बहिष्कृत क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग देश के अन्य क्षेत्रों से आवेदन कर सकते हैं जहाँ यह संशोधन लागू है और उन्हें केवल उसी स्थान से नागरिकता से जुड़े अधिकार प्राप्त होंगे.

15. यदि इस संशोधन के तहत लाभ पाने वाले ऐसे लोग भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए स्वयं के खिलाफ मुक़दमे का सामना कर रहे हैं तो क्या होगा?

यदि उन्हें संशोधित अधिनियम की योजना के तहत नागरिकता प्रदान करने के योग्य पाया जाता है, तो यह उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करेगा.

संदर्भ सूची

1. 8 अप्रैल, 1950 को हस्ताक्षरित नेहरू-लियाकत संधि, दिल्ली समझौता, https://assam.gov.in/documents/1631171/0/Annexure_3.pdf?version=1.0&t=1444717496501– पर उपलब्ध
2. माई पीपल अपरूटेड, ए सागा ऑफ हिंदूज ऑफ ईस्टर्न बंगाल – तथागत रॉय
3. नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016.
4. फॉरगॉटन प्रॉमिस : नेहरू ऐंड द बंगाली रिफ्यूजी – शुभाजीत घोष
5. जवाहरलाल नेहरू सेलेक्टेड स्पीचेज, वॉल्यूम -2 : 1949-1953
6. राज्यसभा डिबेट्स, उपलब्ध है –http://rsdebate.nic.in/rsdebate56/handle/123456789/3/browse?type=sessionnumber&order=ASC&rpp=45&value=90 - पर उपलब्ध
7. डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, वॉल्यूम 8, पृष्ठ 231-232
8. द टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 अक्टूबर 2014 https://timesofindia.indiatimes.com/india/Bangla-infiltration-back-on-Bengals-political-agenda/articleshow/44871719.cms
9. https://www.thehindu.com/news/national/other-states/When-rivals-shared-a-platform/article15611963.ece
10. http://164.100.47.194/Loksabha/Debates/Result15.aspx?dbsl=6723.
11. https://assamaccord.assam.gov.in/portlets/assam-accord-and-its-clauses#Clause%205%20of%20Assam%20Accord%20:%20Foreigners%20Issue.
12. https://archives.peoplesdemocracy.in/2012/0603_pd/06032012_7.html
13. https://cpim.org/content/rights-bengali-refugees
14. असम:ए बर्निंग क्वेश्चन – हिरेन गोहैन, पृष्ठ 151
15. द मार्जिनल मेन, पी.के. चक्रबर्ती, पृष्ठ 39- 40
16. असम के राज्यपाल ले. जनरल (सेवानिवृत्त) एस.के. सिन्हा, पीवीएसएम द्वारा 8 नवंबर, 1998 को भारत के राष्ट्रपति को सौंपी गयी असम में अवैध प्रवास पर रिपोर्ट https://jagadishbhuyan.in/downloads/SK%20Sinha%27s%20REPORT.pdf
17. https://www.ndtv.com/india-news/will-oppose-citizenship-amendment-bill-says-mamata-banerjee-1987470

(Source of Cover Picture : Congestion in Sealdah Station: Image from Millions Came from Eastern Pakistan, They Live Again, Director of Publicity, Government of West Bengal, 1953)

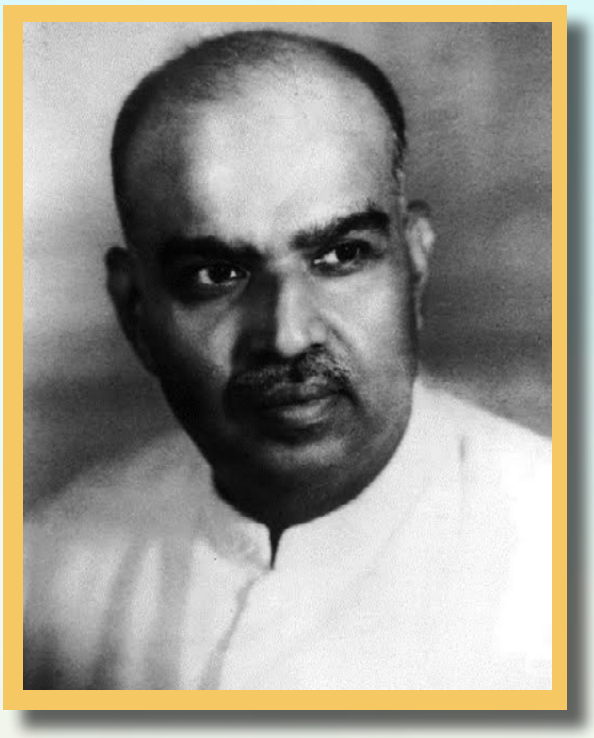

"Let us not forget that the Hindus of East Bengal are entitled to the protecton of India, not on humanitarian consideration alone, but by virtue of their sufferings and sacrifices, made cheerfully for generations, not for advancing their own parochial interests, but for laying the foundations of India's political freedom and intellectual progress. It is the united voice of the leaders that are dead and of the youth that smilingly walked upto the gallows for India's cause that calls for justice and fairplay at the hands of Free India of today."

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
in Parliament on his resignation as Minister of Industry and Supply,
19th April, 1950

Published By:
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
9, Ashoka Road New Delhi - 110001
E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850